

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

क. सामान्य डाटा										
क्र.सं.	विवरण							आंकड़े		
1	क्षेत्र ¹							44,212 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या ²							₹ 3.06 करोड़		
3	जनसंख्या घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व=426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)							691.51 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा ³ से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)							11.16 प्रतिशत		
5	साक्षरता ⁴ (2011) (अखिल भारतीय औसत=73 प्रतिशत)							75.60 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु-दर ⁵ (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1000 सजीव जन्म)							28		
7	जन्म ⁶ पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=70.0 वर्ष)							69.9 वर्ष		
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2023-24 ⁷							₹ 10,95,535 करोड़		
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सीएजीआर ⁸ (2014-15 से 2023-24)					हरियाणा		9.20		
10						सामान्य राज्य		9.56		
11	स.रा.घ.उ. सीएजीआर (2014-15 से 2023-24)					हरियाणा		10.75		
12						सामान्य राज्य		10.76		
13	हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)							14.88		
14	अखिल भारतीय जनसंख्या वृद्धि ⁹ (2014 से 2024)							11.26		
ख.	वित्तीय डाटा									
विवरण			आंकड़े (प्रतिशत में)							
सीएजीआर			2014-15 से 2017-18		2018-19 से 2021-22		2021-22 से 2022-23		2022-23 से 2023-24	
			पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियां का		12.61	15.38	7.12	5.82	13.41	14.22	8.19	13.59
ख	स्व-कर राजस्व का		9.49	14.13	7.17	7.82	19.80	17.96	10.58	15.17
ग	गैर-कर राजस्व का		6.52	25.45	5.44	(-) 2.49	12.94	18.23	14.62	(-) 7.31
घ	कुल व्यय का		12.05	17.98	7.57	5.81	12.53	9.14	10.56	10.49
ङ	पूंजीगत व्यय का		12.02	48.45	4.80	(-) 9.23	18.92	17.62	19.85	41.40
च	राजस्व व्यय का		12.06	14.24	8.07	8.45	11.45	8.11	8.90	6.38
छ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		9.33	8.13	7.34	6.92	13.21	16.81	5.11	(-) 6.81
ज	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		14.09	12.23	14.96	17.71	0.88	4.93	10.34	(-) 3.37
झ	वेतन एवं मजदूरी का		9.86	9.06	8.19	7.03	9.71	8.97	7.52	8.71
ञ	पेंशन का		14.24	24.01	9.58	9.25	11.38	16.83	6.27	8.81

- ¹ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)
- ² भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-36 (जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा।
- ³ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (तैदुलकर कार्यप्रणाली के आधार पर)
- ⁴ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
- ⁵ एस.आर.एस. बुलेटिन (2020)
- ⁶ एस.आर.एस. आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016-20
- ⁷ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
- ⁸ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।
- ⁹ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 9)

31 मार्च 2024 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2023 को	देयताएं	31 मार्च 2024 को
2,52,780.77	आंतरिक ऋण	2,80,772.24
	2,19,185.53 ब्याज युक्त बाजार ऋण 2,52,739.35	
	0.02 ब्याज रहित बाजार ऋण 0.02	
	27,238.74 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण 22,680.77	
	6,356.48 केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां 5,352.10	
14,290.07	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	15,285.21
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	5.99 योजनेतर ऋण 4.41	
	631.48 राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण 456.43	
	13,652.60 विधायी स्कीमों सहित राज्यों के अन्य ऋण 15,364.37	
1,000	आकस्मिक निधि	1,000
18,663.82	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	18,762.25
12,110.24	जमा	14,557.39
10,258.96	आरक्षित निधियां	12,238.55
425.44	उच्चत तथा विविध शेष	-
352.16	प्रेषण शेष	336.99
3,09,881.46		3,43,492.63
31 मार्च 2023 को	परिसंपत्तियां	31 मार्च 2024 को
1,40,604.60	अचल परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	1,56,410.71
	38,020.05 कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश 38,278.21	
	1,02,584.55 अन्य पूंजीगत परिव्यय 1,18,132.50	
शून्य	आकस्मिक निधि (अप्राप्य)	545.95
10,574.39	ऋण एवं अग्रिम	14,238.46
	832.24 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण 730.49	
	9,607.11 अन्य विकास ऋण 13,440.68	
	135.04 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण 157.29	
0.74	अग्रिम	0.74
शून्य	उच्चत एवं विविध शेष	19.72
	शेष	
	प्रेषण शेष	
3,833.55	नकद	5,438.02
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण 0.54	
	(-) 716.63 रिजर्व बैंक में जमा 373.36	
	3.91 विभागीय रोकड़ शेष 4.03	
	0.11 स्थायी अग्रिम 0.11	
	1,310.12 रोकड़ शेष निवेश 1,272.60	
	3,235.50 आरक्षित निधि निवेश 3,787.38	
1,54,868.18	सरकारी लेखों पर घाटा	1,66,749.03
	17,211.52 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा 11,880.86	
	1,37,656.64 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा 1,54,868.16	
	0.02 राउंडिंग के कारण अंतर (वित्त लेखों के अनुसार) 0.01	
3,09,881.46	कुल	3,43,492.63

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 18)

वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण			
	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24
भाग क: राजस्व							
I. राजस्व प्राप्तियां	89,194.69		1,01,314.84	I. राजस्व व्यय	1,06,406.21		1,13,195.70
कर राजस्व	62,960.80	72,511.12		सामान्य सेवाएं	42,068.66		45,398.26
गैर-कर राजस्व	8,742.63	8,103.00		सामाजिक सेवाएं	43,680.38		43,777.53
संघीय करों में राज्यांश	10,378.00	12,345.35		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	18,039.49	16,816.61	
गैर-योजना अनुदान	-	-		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,298.28	6,086.42	
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	-	-		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	6,271.46	6,427.66	
केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	-	-		सूचना एवं प्रसारण	243.84	333.57	
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2,919.81	2,768.56		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	557.75	626.12	
वित्त आयोग अनुदान	1,617.56	1,973.33		श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,183.21	866.44	
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	2,575.89	3,613.48		सामाजिक कल्याण एवं पोषण	11,072.00	12,607.06	
				अन्य	14.35	13.65	
				आर्थिक सेवाएं	20,657.17		24,019.91
				कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	4,806.89	4,909.65	
				ग्रामीण विकास	2,459.35	3,658.13	
				सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,425.34	2,615.02	
				ऊर्जा	7,072.20	7,953.07	
				उद्योग एवं खनिज	689.67	797.29	
				परिवहन	3,072.12	3,929.15	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	30.10	37.57	
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	101.50	120.03	
				सहयतानुदान और अंशदान			
II. राजस्व घाटा भाग ख में ले जाया गया	17,211.52		11,880.86	राजस्व अधिशेष को भाग ख में ले जाया गया			
कुल भाग क	1,06,406.21		1,13,195.70		1,06,406.21		1,13,195.70
भाग ख - अन्य							
III. स्थायी अगिर्तों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	4,946.11		3,833.55	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट			
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	73.91		114.83	IV. पूंजीगत परिव्यय	11,664.95		15,920.94
				सामान्य सेवाएं	552.80		640.61
				सामाजिक सेवाएं	3,755.82		4,437.93
				शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	389.03	574.52	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,381.89	1,154.36	
				जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1,848.20	2,589.44	
				सूचना एवं प्रसारण	22.22	60.49	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.45	6.23	
				सामाजिक कल्याण और पोषण	81.33	37.61	
				अन्य	32.70	15.28	

प्राप्तियां				संवितरण			
	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24
V. ऋण और अग्रिम राशि की वसूली	237.75		301.15	आर्थिक सेवाएं	7,356.33		10,842.40
विद्युत परियोजनाओं से	119.83	101.75		कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	(-)88.51	2,997.71	
सरकारी कर्मचारियों से	76.93	74.93		ग्रामीण विकास	407.27	1,232.16	
अन्य से	40.99	124.47		सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,171.19	2,623.65	
VI. राजस्व अधिशेष में कमी लाई गई				ऊर्जा	8.00	234.04	
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	80,649.29		88,720.82	उद्योग एवं खनिज	157.72	183.19	
बाह्य ऋण				परिवहन	4,391.39	3,355.46	
अर्थोपाय के अलावा	58,244.75	60,981.54		विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0	0	
आंतरिक ऋण अग्रिम				सामान्य आर्थिक सेवाएं	309.27	216.19	
और ओवरड्राफ्ट				V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,462.07		4,055.22
अर्थोपाय अग्रिम के तहत	21,134.24	25,994.12		बिजली परियोजनाओं हेतु	2.83	0	
लेनदेन				सरकारी कर्मचारियों को	84.28	97.17	
केंद्रीय बैंक से ऋण और	1,270.30	1,745.16		अन्यों को	2,374.96	3,958.05	
अग्रिम				VI. राजस्व घाटा कम हुआ	17,211.52		11,880.86
VIII. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग				VII. सार्वजनिक ऋण की पुनर्भुगतान	53,021.28		59,194.20
IX. आकस्मिकता निधि से अंतरित राशि	0	0	0	बाह्य ऋण			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	70,111.14		78,101.78	अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	31,672.22	32,990.08	
लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	3,620.00	3,484.04		अर्थोपाय अग्रिम के तहत लेनदेन	21,134.24	25,994.12	
आरक्षित निधि	1,801.05	2,523.27		केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	214.82	210.00	
उच्च एवं विविध	1,745.40	1,849.07		राशि का पुनर्भुगतान			
प्रेषण	10,451.30	12,361.36		VIII. आकस्मिक निधि का विनियोग			
जमा और अग्रिम	52,493.39	57,884.04		IX. आकस्मिक निधि से व्यय	0	545.95	545.95
XI. बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट				X. लोक लेखा संवितरण	67,824.81		74,036.94
				लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	3,350.63	3,385.61	
				आरक्षित निधियां	391.00	543.67	
				उच्च एवं विविध	1,561.35	2,294.23	
				प्रेषण	10,413.74	12,376.53	
				जमा एवं अग्रिम	52,108.09	55,436.90	
				XI. अंतिम रोकड़ शेष	3,833.55		5,438.02
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में रोकड़ राशि	0.54	0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ जमा	(-) 716.63	373.36	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित	4.02	4.14	
				विभागीय रोकड़ शेष			
				रोकड़ शेष निवेश	1,310.12	1,272.60	
				चिह्नित निवेश	3,235.50	3,787.38	
				पूर्णांकन के कारण अंतर	0.02	0.00	
योग भाग-ख	1,56,018.20		1,71,072.13	कुल	1,56,018.20		1,71,072.13

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 21)

राज्य सरकार के वित्तों का समय क्रम डाटा

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग-क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	67,858	67,561	78,092	89,194	1,01,315
(i) स्व-कर राजस्व	42,825 (63)	41,914 (62)	53,377 (68)	62,961 (71)	72,511 (72)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	8,398 (19)	8,660 (21)	11,221 (21)	11,262 (18)	11,331 (16)
राज्य उत्पाद शुल्क	6,323 (15)	6,864 (16)	7,934 (15)	9,673 (15)	11,326 (16)
वाहनों पर कर	2,916 (7)	2,495 (6)	3,265 (6)	4,231 (7)	4,904 (7)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	6,013 (14)	5,157 (12)	7,598 (14)	8,607 (14)	10,529 (14)
भू-राजस्व	20	17	21	23	22
माल एवं यात्रियों पर कर	16	4	6	3	7
बिजली पर कर एवं शुल्क	262 (1)	476 (1)	404 (1)	578 (1)	424
राज्य माल एवं सेवा कर	18,873 (44)	18,236 (44)	22,922 (43)	28,577 (45)	33,960 (47)
अन्य कर	4	5	6	7	8
(ii) गैर-कर राजस्व	7,400 (11)	6,961 (10)	7,394 (9)	8,742 (10)	8,103 (8)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	7,111 (10)	6,438 (10)	9,722 (12)	10,378 (12)	12,345 (12)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	10,522 (16)	12,248 (18)	7,599 (10)	7,113 (8)	8,356 (8)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	54	63	67	74	115
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,393	432	500	238	301
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	73,305	68,056	78,659	89,506	1,01,731
5. लोक ऋण प्राप्तियां	44,432	53,817	55,106	80,649	88,721
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	43,068 (97)	44,363 (83)	44,793 (81)	58,245 (72)	60,982 (69)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन-देन	1,262 (3)	4,977 (9)	2,776 (5)	21,134 (26)	25,994 (29)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	102	4,477 ¹ (8)	7,537 ² (14)	1,270 (2)	1,745 (2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	1,17,737	1,21,873	1,33,765	1,70,155	1,90,452
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	शून्य	800	900	0	0
8. लोक लेखे प्राप्तियां	45,047	53,761	55,671	70,111	78,102
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	1,62,784	1,76,434	1,90,336	2,40,266	2,68,554
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	84,848	89,946	98,425	1,06,406	1,13,196
सामान्य सेवाएं (व्याज भुगतानों सहित)	31,884 (38)	34,734 (39)	37,948 (38)	42,069 (40)	45,398 (40)
आर्थिक सेवाएं	19,238 (22)	19,048 (21)	19,549 (20)	20,657 (19)	24,020 (21)
सामाजिक सेवाएं	33,726 (40)	36,164 (40)	40,928 (42)	43,680 (41)	43,778 (39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	0	0
11. पूंजीगत व्यय	17,666	5,870	11,046	11,665	15,921
सामान्य सेवाएं	586 (3)	388 (7)	562 (5)	553 (5)	641 (4)
आर्थिक सेवाएं	13,846 (79)	2,496 (42)	5,013 (45)	7,356 (63)	10,842 (68)
सामाजिक सेवाएं	3,234 (18)	2,986 (51)	5,471 (50)	3,756 (32)	4,438 (28)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	1,309	926	966	2,462	4,055
13. कुल (10+11+12)	1,03,823	96,742	1,10,437	1,20,533	1,33,172
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	15,776	29,498	25,473	53,021	59,194
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित)	14,250 (90)	24,191 (82)	22,542 (88)	31,672 (60)	32,990 (56)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेन-देन	1,262 (8)	4,977 (17)	2,776 (11)	21,134 (40)	25,994 (44)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	264 (2)	330 (1)	155 (1)	215	210
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	शून्य	800	0	0	0
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	1,19,599	1,27,040	1,35,910	1,73,554	1,92,366
17. आकस्मिक निधि संवितरण	शून्य	शून्य	900	0	546
18. लोक लेखा संवितरण	42,171	50,245	51,728	67,825	74,037
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	1,61,770	1,77,285	1,88,538	2,41,379	2,66,949

¹ इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 4,352 करोड़ शामिल हैं।

² इसमें वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 7,394 करोड़ शामिल हैं।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग ग-घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)	(-) 16,990	(-) 22,385	(-) 20,333	(-) 17,212	(-) 11,881
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) {4-(13+15)}	(-) 30,518	(-) 29,486	(-) 31,778	(-) 31,027	(-) 31,441
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 14,930	(-) 12,371	(-) 13,416	(-) 10,931	(-) 9,836
भाग-घ अन्य डाटा					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	15,588	17,115	18,362	20,096	21,605
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	11,337	13,012	12,446	11,673	12,139
25. अर्थोपाय अग्रिम/प्राप्त ओवरड्राफ्ट (दिनों में)	1,262 (11)	4,977(42)	2,776	21,134	25,994
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.42	1.31	0.29	10.36	9.03
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ³	7,32,195	7,41,850	8,70,665	9,94,154	10,95,535
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	2,15,562	2,38,708 ⁴	2,63,950 ⁵	2,93,122	3,26,622
29. बकाया गारंटियां-ब्याज सहित (वर्ष के अन्त में)	20,738	23,053	24,343	23,058	24,215
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	26	48	19	9	17
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवसूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	221.57	546.30	190.05	73.18	212.81
I संसाधन संघटन					
स्व-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.058	0.057	0.061	0.064	0.066
स्व-गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.010	0.009	0.011	0.011	0.011
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.141	0.133	0.127	0.122	0.122
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.530	1.432	1.414	1.351	1.314
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.817	0.930	0.891	0.883	0.850
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.356	0.405	0.420	0.394	0.362
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.331	0.228	0.230	0.245	0.277
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.170	0.061	0.100	0.097	0.120
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.165	0.057	0.095	0.092	0.115
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.023	(-) 0.031	(-) 0.023	(-) 0.017	(-) 0.011
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 0.041	(-) 0.040	(-) 0.037	(-) 0.032	(-) 0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-) 0.020	(-) 0.017	(-) 0.015	(-) 0.011	(-) 0.009
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.557	0.759	0.640	0.555	0.378
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.292	0.327	0.304	0.298	0.298
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	3.177	3.533	3.380	3.286	3.224
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	87.01	163.14	1,007.59	192.00	290.00
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.56	0.52	0.51	0.50	0.51

³ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

⁴ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ को छोड़कर।

⁵ भारत सरकार के ₹ 11,746 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋणों को छोड़कर (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में)।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2.2 (iii); पृष्ठ 25)

राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2024 तक राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को शेष राशि	31 मार्च 2024 को पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वसूली की स्थिति										अंतर जिला बकाया	किस्तों में	कारवाई के विभिन्न चरणों में
				कोर्ट द्वारा स्टे	सरकार द्वारा स्टे	प्रमाण-पत्रों की वसूली से संबंधित मांगें	दिवालिया डीलर	बटुटे खाते में डाला जाना	अपील	न्यायालय में मामले	अन्य कारण	आधिकारिक परिसमापक/बी.आई.एफ.आर ⁶	अंतर्राज्यीय बकाया			
कर राजस्व में बकाया																
1	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	203.38	203.24	177.93	-	-	-	-	-	0.05	4.98	0.05	-	-	-	20.37
2	वस्तु एवं सेवा कर	6,920.99	6,920.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,920.99
3	राज्य उत्पाद शुल्क	663.85	267.19	30.10	-	-	-	0.67	-	46.98	70.92	-	36.95	108.27	-	369.96
4	बिक्रियाँ, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	30,437.24	12,581.07	1,033.19	65.14	-	38.38	112.02	1,429.93	3,580.87	1,734.07	3,035.91	390.17	112.95	0.10	18,904.51
5	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	66.57	6.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.57
6	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियाँ	11.11	11.11	8.52	-	-	-	0.01	-	0.21	-	2.33	-	-	-	0.04
कुल		38,303.14	19,989.77	1,249.74	65.14	-	38.38	112.70	1,429.93	3,628.11	1,809.97	3,038.29	427.12	221.22	0.10	26,282.44
गैर-कर राजस्व में बकाया																
1.	नागरिक उड्डयन	0.97	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97
2.	राज्य परिवहन	56.44	20.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.67	54.77	-	-
3.	स्थानीय लेखापरीक्षा	43.76	32.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.76
4.	आपूर्ति और निपटान	0.71	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
5.	खान एवं भू-विज्ञान	2,645.25	946.85	516.17	-	513.79	-	0.26	-	3.03	1,372.51	-	0.48	220.91	-	18.09
6.	पुलिस	140.88	40.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.50
कुल		2,888.01	1,041.16	516.17	0.00	513.79	0.00	0.26	0.00	3.03	1,372.51	0.00	2.15	275.68	0.00	197.03
कुल योग		41,191.15	21,030.93	1,765.91	65.14	513.79	38.38	112.96	1,429.93	3,631.14	3,182.48	3,038.29	429.27	496.90	0.10	26,479.47

स्रोत: राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

⁶ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (ii); पृष्ठ 47)

वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में
वित्त लेखों के अनुसार सरकारी निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वित्त लेखों के अनुसार (एस-16)	कंपनी लेखा के अनुसार (एस-19)	अंतर
1	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	202.01	-2.21
2	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	9,587.68	13,462.51	3,874.83
3	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,670.99	3,270.80	-400.19
4	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	52.79	50.53	-2.26
5	हरियाणा डेयरी विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	4.77	5.57	0.80
6	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	33.84	26.14	-7.70
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	69.82	25.00	-44.82
8	हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, गुरुग्राम	8.51	6.85	-1.66
9	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.75	2.76	0.01
10	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	157.90	9.89	-148.01
11	हरियाणा राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	2.62	2.65	0.03
12	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	76.10	72.36	-3.74
13	हरियाणा राज्य सड़कें और पुल विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	70.12	122.04	51.92
14	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	1.40	1.81	0.41
15	हरियाणा टेनरीज लिमिटेड, जींद	0.22	1.17	0.95
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	शून्य	37.76	37.76
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकुला	3,641.97	4,306.05	664.08
18	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़	14.86	15.51	0.65
19	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकुला	11,131.04	15,230.63	4,099.59
20	हरियाणा मास रैपिड यातायात निगम	शून्य	14.40	14.40
21	हरियाणा मेडिकल सर्विसिज लिमिटेड	शून्य	5.00	5.00
22	हरियाणा रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड	1,215.50	344.22	-871.28
23	हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.08	0.12	0.04
24	ड्रोन इमेजिंग और सूचना सेवाएं हरियाणा लिमिटेड	10.10	10.00	-0.10
25	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड	शून्य	2.00	2.00
26	हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन	0.60	शून्य	-0.60
27	हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड	113.00	105.00	-8.00
	कुल	30,070.88	37,332.78	7,261.90

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3.2 (iii); पृष्ठ 47)

कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना	प्रदानगी की तिथि	पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	130.00	-	2007-2012	2037-2042 (20 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित)। 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए इस परियोजना के अंतर्गत अपग्रेड किए जा रहे संबंधित 52 सरकारी आईटीआई से ₹ 14.85 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है।
2.	रेडियोलॉजिकल सर्विसिज	स्वास्थ्य	20.00	-	जुलाई 2014	17 जिलों में सीटी स्कैन सेवाएं और पांच जिलों में एमआरआई सुविधाएं चालू हो गईं। दो और जिलों के लिए सीटी स्कैन और पांच और जिलों के लिए एमआरआई के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
3.	हेमोडायलिसिस	स्वास्थ्य	17.00	-	दिसंबर 2015	20 जिलों में डायलिसिस सेवाएं परिचालन में हैं।
4.	कैथ लैब सर्विसिज	स्वास्थ्य	7.00	-	मार्च 2016	चार जिला अस्पतालों में कैथ लैब सेवाएं कार्यरत हैं। तीन और जिलों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
5.	हरियाणा राज्य में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विकास के लिए 13 परियोजनाएं	शहरी स्थानीय निकाय	1695.00	डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और अंतरण के आधार पर)		एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (सोनीपत) 16 अगस्त 2021 को पूरी हुई। शेष 12 परियोजनाओं में से चार चालू हैं और आठ की योजना बनाई गई है।
कुल			1,869.00			

(स्रोत: संबंधित विभाग और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से प्राप्त जानकारी)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (क); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव		
1	मुख्य सचिव कार्यालय/स्थापना के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (सीएसई-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-03-2052-51-090-90-51]	10.00
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान		
2	राजस्व के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफसीआर-पीओएल-आरईवी) [पी-01-04-2245-80-001-95-51]	10.00
अनुदान संख्या 05-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)		
3	पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) -(पीओएल-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-05-2055-51-001-97-51]	200.00
4	पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओएल-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-05-4055-51-207-95-51]	208.50
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी		
5	भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण [पी-01-06-2049-01-200-95-51]	100.00
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण		
6	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2401-51-001-94-51]	76.00
7	हरियाणा में गन्ना विकास [पी-01-10-2401-51-108-94-51]	14.58
8	हरियाणा में बागवानी फसल बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कर दिया गया है [पी-01-10-2401-51-119-63-51]	10.00
9	वन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफआरटी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-10-2406-01-001-94-51]	40.00
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता		
10	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को सहायता [पी-01-11-2425-51-107-78-51]	40.00
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास		
11	प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-01-001-93-51]	100.00
12	माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-02-001-92-51]	300.00
13	उच्च शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2202-03-001-96-51]	50.00
14	तकनीकी शिक्षा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीईडी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-12-2203-51-001-89-51]	5.00
15	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना [पी-01-12-2203-51-112-92-51]	10.00
16	ईडीएस शिक्षा (माध्यमिक) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीएसपीएलओ-सीएपी) [पी-01-12-4202-01-202-96-51]	50.00
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए		
17	स्वास्थ्य विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीएचएस-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-14-2210-01-001-92-51]	5.00
18	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-14-2210-05-105-72-51]	10.00

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
19	खादय एवं औषधि प्रशासन हरियाणा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफडीए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-14-2210-06-104-97-51]	50.00
20	कर्मचारी राज्य बीमा के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईएसआई-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-14-4210-01-102-99-51]	131.00
21	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-14-4210-03-105-86-51]	233.00
22	स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल को ऋण [पी-01-14-6210-03-105-97-51]	108.00
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण		
23	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-15-2230-03-001-90-51]	10.00
24	कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-15-4250-51-800-87-51]	100.00
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण		
25	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डब्ल्यूएसबी-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-16-2225-01-001-92-51]	200.00
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन		
26	पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-17-2059-80-001-87-51]	120.00
27	परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-17-3055-51-001-97-51]	50.00
28	रेवाड़ी के बावल में न्यायिक परिसर का निर्माण [पी-01-17-4059-60-051-60-51]	5.00
29	पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-17-4059-80-001-98-51]	754.81
30	परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-17-5055-51-050-76-51]	150.00
अनुदान संख्या-18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी		
31	मुद्रण एवं स्टेशनरी [पी-01-18-4058-51-103-98-51]	6.00
32	सांस्कृतिक विरासत केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र आदि के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण [पी-01-18-4202-04-101-98-51]	20.00
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
33	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) [पी-01-19-4700-11-800-97-51]	5.00
34	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-19-4700-80-800-98-51]	500.00
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
35	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी) [पी-01-20-2215-01-001-89-51]	450.00
36	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबैन मिशन (एसपीएमआरएम) [पी-02-20-2515-51-106-97-51]	50.00
37	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4215-01-800-96-51]	350.00
38	निदेशक स्थानीय निकाय (डीएलबी)-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (सीएपी) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) [पी-01-20-4217-60-001-98-51]	800.00
39	विकास और पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) [पी-01-20-4515-51-101-98-51]	94.00
कुल		5,425.89

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ख); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुदान संख्या 01-विधान सभा			
1	हरियाणा विधान सभा के लिए भूमि की खरीद/भवन का निर्माण [पी-01-01-4059-01-051-57]	50.00	0.01
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं करगान			
2	कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति [पी-01-04-2043-51-800-99-97]	10.00	0.20
3	अग्निशमन सेवा निदेशालय हरियाणा के लिए भूमि की खरीद और निर्माण कार्य(पंचकुला) [पी-01-04-4059-01-051-64-51]	30.00	6.00
अनुदान संख्या 05-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)			
4	हरियाणा राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली [पी-03-05-2055-51-109-95-51]	10.00	0.01
5	अपराध और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) का नाम बदलकर निर्भया/महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) कर दिया गया है। नारकोटिक्स के लिए राज्य को सहायता [पी-03-05-2055-51-114-96-51]	10.00	0.01
अनुदान संख्या 06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी			
6	वित्त भवन का निर्माण [पी-01-06-4059-01-051-60-51]	107.00	1.00
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम			
7	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएमबी) को ऋण [पी-01-07-6501-51-190-99-51]	99.00	15.00
8	सहकारी चीनी मिलों में विद्युत उत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना [पी-01-07-6860-04-101-95-51]	300.00	16.00
9	विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-99-98]	43.00	10.00
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण			
10	किसानों के समूह और अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी उपलब्ध कराने की योजना [पी-01-10-2401-51-789-89-51]	20.05	10.00
11	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण [पी-01-10-4059-01-051-58-51]	10.00	0.10
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता			
12	गोदामों का निर्माण-नाबाई का अंशदान [पी-01-11-4408-02-101-99-99]	19.00	0.10
13	गोदामों का निर्माण [पी-01-11-4408-02-101-99-51]	10.00	0.02
14	हरको बैंक की शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान [पी-01-11-4425-51-107-97-51]	50.00	10.00
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास			
15	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-69-51]	20.00	12.01

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
16	अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) [पी-02-12-2236-02-789-96-51]	15.00	4.00
17	नाबार्ड के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालय भवन का निर्माण [पी-01-12-4202-01-202-97-51]	45.00	10.00
18	सोनीपत में साईंस सिटी की स्थापना का नाम बदलकर हरियाणा में राष्ट्रीय साईंस सिटी की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-99-51]	50.00	0.01
19	अंबाला कैट में विज्ञान केंद्र की स्थापना का नाम बदलकर अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-98-51]	25.00	0.01
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन			
20	हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण [पी-01-13-2204-51-188-99-51]	10.00	0.05
21	हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई, सोनीपत, हरियाणा को ऋण [पी-01-13-6202-01-203-98-51]	50.00	0.01
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए			
22	स्वास्थ्य संस्थान और एचएमआईएस की गुणवत्ता सुधार के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र [पी-01-14-2210-01-110-37-51]	21.35	5.00
23	एनपीसीडीसीएस (कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) और एनपीएचसीई (बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन [पी-02-14-2210-01-110-43-51]	15.00	1.00
24	प्रशासन के मानकों का उन्नयन केंद्रीय वित्त आयोग [पी-03-14-2210-01-110-70-51]	548.77	48.77
25	एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैंसर चिकित्सा उपचार [पी-01-14-2210-80-199-97-51]	100.00	70.00
26	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) का निर्माण कार्य [पी-01-14-4059-01-051-65-51]	15.00	0.01
27	नल्हड़ में डेंटल कॉलेज का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण [पी-01-14-4210-03-105-90-99]	60.00	1.00
28	राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल/कॉलेजों का निर्माण कार्य-भवन का निर्माण [पी-01-14-4210-03-105-89-99]	40.00	10.00
29	राजकीय मेडिकल कॉलेज, छांयसा (फरीदाबाद) की स्थापना [पी-01-14-4210-03-105-85-51]	10.00	0.01
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण			
30	असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान [पी-01-15-2230-01-190-99-51]	60.01	0.01
31	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) [पी-03-15-2230-03-003-61-51]	30.00	0.01
32	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना [पी-03-15-2230-03-190-99-51]	13.10	0.01
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण			
33	स्वर्ण जयंती निदेशालय के भवन निर्माण के लिए संस्थागत प्लॉट की खरीद [पी-01-16-4235-02-101-93-51]	20.00	0.01
34	वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए रेवाड़ी स्थित गृह (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है [पी-01-16-4235-02-104-99-51]	10.00	1.00
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन			
35	एनएसओपी उड़ान (गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट) [पी-01-17-3053-01-190-99-98]	10.00	0.10
36	भवन (सार्वजनिक पुस्तकालय) [पी-01-17-4202-04-105-99-51]	10.00	0.04
37	हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (एचआरआईडीसी) को इक्विटी पूंजी [पी-01-17-5054-80-190-99-51]	30.00	1.00

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुदान संख्या-18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मद्रुण एवं स्टेशनरी			
38	पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट का भुगतान [पी-01-18-4220-60-101-97-51]	10.00	0.01
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी			
39	हरियाणा जल संसाधन को सहायता अनुदान [पी-01-19-2700-80-190-95-51]	25.00	6.25
40	स्वच्छ ईंधन पर उद्योगों के संचालन में बेट सहायता [पी-01-19-2851-51-102-60-51]	150.00	0.10
41	स्टार्टअप और आईटी तथा ईएसडीएम नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी [पी-01-19-2852-07-202-87-51]	50.00	0.10
42	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना [पी-01-19-4851-51-102-92-51]	25.00	1.00
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग			
43	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [पी-02-20-2217-80-192-89-51]	37.50	15.78
44	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [पी-02-20-2217-80-789-90-51]	12.50	4.70
45	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम, डीडीयूजीकेवाई) (परियोजना प्रशासन) [पी-02-20-2501-06-101-97-51]	25.00	4.00
46	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) [पी-02-20-2501-06-101-96-51]	10.00	3.10
47	एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम, डीडीयूजीकेवाई) (परियोजना प्रशासन) [पी-02-20-2501-06-789-98-51]	10.00	3.10
48	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) [पी-02-20-2515-51-101-81-51]	30.00	21.00
49	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-01-20-2515-51-102-96-99]	10.00	5.00
50	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना [पी-01-20-2515-51-102-90-51]	30.00	5.00
51	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-102-93-99]	122.00	11.80
52	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) [पी-02-20-2515-51-106-96-51]	60.00	42.00
53	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) [पी-03-20-2515-51-106-98-51]	10.00	0.01
54	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-01-20-2515-51-789-99-51]	10.00	2.50
55	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना [पी-01-20-2515-51-789-91-51]	10.00	1.00
56	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-789-98-51]	45.00	13.00
57	नगरपालिकाओं को ऋण [पी-01-20-6217-60-191-97-51]	15.00	0.01
कुल		2,673.28	371.97

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ग); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/धुनाव		
1	जघन्य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय वितरण केंद्रीय वित्त आयोग [पी-03-05-2014-51-105-92-51]	60.00
अनुदान संख्या-5-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)		
2	पुलिस कल्याण [पी-01-05-2055-51-113-99-51]	6.00
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी		
3	कम्प्यूटरीकरण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत सहायता के अंतर्गत स्थापना व्यय [पी-03-06-3454-02-001-90-98]	6.00
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम		
4	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम [पी-03-07-6425-51-108-99-51]	20.00
5	विवेकाधीन कोटे के अलावा अन्य अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-99-99]	5.00
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/परिस्थितिकी एवं पर्यावरण		
6	केंद्रीय वित्त आयोग की सिफरिशों पर कृषि विकास से संबंधित अवसंरचना एवं गतिविधियां [पी-03-10-4401-51-113-95-51]	424.00
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता		
7	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना [पी-03-11-4425-51-108-94-51]	25.00
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन		
8	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन [पी-03-13-2205-51-105-86-51]	20.00
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए		
9	केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना/सुदृढीकरण [पी-03-14-4210-03-105-81-51]	75.00
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण		
10	पंचकुला में कार्यालय भवन के लिए भूखंड की खरीद और श्रम शक्ति भवन का निर्माण [पी-01-15-4059-01-051-66-51]	11.00
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण		
11	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) [पी-03-16-2225-01-793-77-51]	30.00
12	परिवार लाभ योजना [पी-03-16-2235-03-102-99-51]	9.00
13	सुगम्य भारत अभियान (एसआईपीडीए) [पी-03-16-4235-02-101-92-51]	18.00
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
14	मौजूदा नहर नेटवर्क का पुनर्वास जलमार्गों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास [पी-03-19-4701-80-800-95-51]	87.50
कुल		796.50

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेख

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (घ); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था,
लेकिन व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान के सापेक्ष व्यय (प्रतिशत में)
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
1	खनन के बाद बहाली कार्य पर व्यय [पी-01-10-2853-02-102-99-51]	97.67	99.81	0.18	0.18
2	जिला खनिज फाउंडेशन निधि में अंतरण (2.5 प्रतिशत राज्य अंशदान) [पी-01-10-2853-02-797-98-51]	17.25	18.00	8.49	49.22
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
3	स्थापना लागत प्रभार्य [पी-01-11-4408-01-101-98-51]	375.00	450.00	134.76	35.94
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
4	पूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-101-95-51]	110.00	111.20	81.67	74.25
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण					
5	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना [पी-01-16-2225-01-283-99-51]	100.00	120.00	71.83	71.83
6	बीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए घटक-II कर दिया गया है [पी-02-16-2225-03-277-93-51]	70.00	85.00	30.09	42.99
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
7	मुख्य अभियन्ता [पी-01-19-2700-80-001-93-51]	86.64	96.91	14.42	16.64
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
8	एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज सेंट्रल का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) कवरेज कर दिया गया है [पी-02-20-4215-01-102-98-99]	860.00	1194.99	591.24	68.75
कुल		1,716.56	2,175.91	932.68	54.33

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ड); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं का विवरण (₹ 50 करोड़ और अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम हुआ लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव					
1	स्थापना व्यय [पी-01-03-2051-51-102-99-98]	51.93	36.43	23.99	65.85
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान					
2	मुख्यालय स्टाफ-स्थापना व्यय [पी-01-04-2040-51-001-99-98]	149.36	78.96	58.21	73.72
3	आबकारी एवं कराधान [पी-01-04-4059-60-051-97-51]	114.00	31.31	22.99	73.43
4	जिला प्रशासन [पी-01-04-4216-01-106-98-51]	50.00	30.00	15.66	52.20
अनुदान संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी					
5	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना [पी-01-06-2075-51-800-88-51]	200.58	200.53	0.51	0.25
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम					
6	राज्य सेवा अधिकारियों (अराजपत्रित) को गेहूँ ऋण/खाद्यान्नों की खरीद के लिए अग्रिम [पी-01-07-7610-51-800-99-51]	80.00	50.00	25.81	51.62
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना [पी-02-10-2401-51-109-80-51]	200.00	77.63	58.17	74.93
8	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना [पी-01-10-2403-51-102-69-51]	425.00	373.50	0.97	0.26
9	मीठे पानी में जलीय कृषि के विकास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कर दिया गया है [पी-02-10-2405-51-101-72-51]	166.06	100.00	78.60	78.60
10	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) [पी-02-10-2406-01-102-64-51]	60.00	34.00	13.29	39.09
11	बागवानी विश्वविद्यालय को ऋण [पी-01-10-6401-51-800-90-51]	99.00	50.00	31.69	63.38
12	लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (नाबाई) [पी-01-10-6403-51-190-98-51]	100.00	10.00	7.96	79.60
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
13	पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम [पी-02-12-2202-01-199-99-51]	71.50	30.00	14.47	48.23
14	शिक्षा का अधिकार अधिनियम [पी-01-12-2202-01-800-93-51]	212.00	140.00	80.05	57.18
15	शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल खोलना [पी-01-12-2202-02-109-85-51]	100.00	45.00	25.00	55.56
16	पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम [पी-02-12-2202-02-199-99-51]	71.50	30.00	14.47	48.23
17	अपनी बेटियाँ अपना धन के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता का नाम बदलकर आपकी बेटि हमारी बेटि (लाडली) कर दिया गया है [पी-01-12-2235-02-789-99-51]	140.00	90.00	64.46	71.62
18	अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वित्तीय सहायता [पी-02-12-2235-02-789-90-51]	60.00	56.00	39.80	71.07
19	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना [पी-02-12-2236-02-101-88-51]	106.76	30.00	21.46	71.53
20	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51]	60.00	40.00	17.26	43.15
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन					
21	स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में वन्यजीव पर्यटन का विकास [पी-01-13-5452-80-104-99-51]	50.00	14.90	6.35	42.62
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
22	पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन [पी-02-14-2210-06-188-97-51]	125.90	45.00	29.45	65.44
23	ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन की योजना [पी-01-14-4210-01-102-98-51]	50.58	0.31	0.17	54.84
24	सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत [पी-01-14-4210-03-101-92-51]	55.00	6.00	3.28	54.67

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-15. श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
25	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना [पी-01-15-2230-03-001-92-51]	50.00	7.00	5.50	78.57
26	गांव दुधोला जिला पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को ऋण [पी-01-15-6202-02-105-93]	103.40	80.00	49.13	61.41
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
27	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण सामान्य) [पी-02-17-2216-03-196-99]	60.72	7.42	3.55	47.84
28	न्याय प्रशासन [पी-01-17-4059-60-051-98-51]	80.00	68.00	32.34	47.56
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
29	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-01-001-91-51]	147.54	128.66	3.85	2.99
30	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-02-001-91-51]	537.75	491.39	11.04	2.25
31	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-2700-02-001-89-51]	55.36	38.40	1.05	2.73
32	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]	73.25	58.75	28.02	47.69
33	गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनर्स्थापना कर दिया गया है [पी-01-19-2700-80-190-96-51]	455.00	235.00	166.85	71.00
34	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना [पी-02-19-2851-51-102-63-51]	50.10	24.00	18.49	77.04
35	नहर का निर्माण (एसवाईएल) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]	101.00	1.00	0.08	8.00
36	नहरों का निर्माण (मेवात) [पी-01-19-4701-22-800-98-51]	50.00	1.00	0.80	80.00
37	इक्विटी कैपिटल एचपीजीसीएल [पी-01-19-4801-05-190-98-51]	584.51	330.06	231.04	70.00
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
38	नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं [पी-01-20-2217-80-191-95-51]	105.00	60.00	42.74	71.23
39	स्वच्छ भारत मिशन [पी-02-20-2217-80-192-88-51]	400.00	71.00	14.16	19.94
40	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) [पी-02-20-2505-02-101-99-99]	359.00	345.00	152.46	44.19
41	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2515-51-101-89-51]	1,712.00	1,600.00	1,157.99	72.37
42	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	100.00	55.00	41.73	75.87
43	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास [पी-01-20-2515-51-198-96-51]	699.00	357.00	24.35	6.82
44	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता [पी-01-20-2515-51-789-87-51]	734.00	645.00	505.83	78.42
45	सीवरेज के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन [पी-02-20-4215-02-101-89-51]	200.00	127.00	53.82	42.38
	कुल	9,456.80	6,330.25	3,198.89	50.53

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (च); पृष्ठ 85)

उन योजनाओं (₹ 50 करोड़ और अधिक) का विवरण जिनमें बजट अनुमान संशोधित अनुमान में कम कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान					
1	कीट हमले/भूस्खलन/बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता [पी-01-04-2245-80-800-96-51]	240.00	100.00	124.42	124.42
अनुदान संख्या-5-गृह/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)					
2	पुलिस स्टेशन [पी-01-05-4055-51-207-97-51]	146.00	100.00	136.02	136.02
अनुदान संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी					
3	नये ऋण आदि जारी करने पर व्यय [पी-01-06-2049-01-305-99-51]	50.00	38.00	65.09	171.29
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
4	फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजना [पी-01-10-2401-51-108-83-51]	350.00	125.00	215.00	172.00
5	कृषि विभाग के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/खरीद की योजना [पी-01-10-4401-51-113-97-99]	63.00	1.00	27.69	2769.00
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
6	अंत्योदय आहार योजना [पी-01-11-2408-01-001-93-51]	663.00	385.00	578.09	150.15
7	केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजी [पी-01-11-4425-51-107-99-51]	50.00	16.00	26.00	162.50
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
8	पोषण अभियान योजना [पी-02-12-2236-80-102-99-51]	75.00	40.20	67.56	168.06
अनुदान संख्या-13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन					
9	मुख्यालय स्टाफ-स्थापना व्यय [पी-01-13-3452-80-001-99-98]	14.29	6.36	8.10	127.36
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
10	स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब, हिसार [पी-01-17-5053-60-102-98-51]	500.00	252.00	390.00	154.76
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
11	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन -प्रति बूंद अधिक फसल [पी-02-19-2705-51-190-94-51]	509.60	150.70	181.40	120.37
12	नहर का निर्माण -नहर नेटवर्क का पुनर्वास [पी-01-19-4700-13-800-98-51]	300.00	200.00	245.10	122.55
13	बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-4711-01-001-91-51]	96.20	50.00	174.37	348.74
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
14	संवर्द्धन जल आपूर्ति-नाबार्ड [पी-01-20-4215-01-102-93-93]	200.00	150.00	187.97	125.31
कुल		3,257.09	1,614.26	2,426.81	150.34

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (छ); पृष्ठ 86)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें मूल अनुमान और संशोधित अनुमान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान) समान थे लेकिन व्यय प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (एई)	प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-04 राजस्व/आबकारी एवं कराधान				
1	मेवात क्षेत्र के एकीकृत विकास की योजना [पी-01-04-2705-51-101-99-51]	17.70	4.43	25.03
अनुदान संख्या-5-होम/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)				
2	जिला एवं सत्र न्यायालय -फास्ट ट्रैक कोर्ट [पी-02-05-2014-51-105-95-51]	14.00	9.07	64.79
3	एचपीएचसी को ऋण और सहायता अनुदान के ब्याज का पुनर्भुगतान [पी-01-05-2055-51-800-98-51]	145.00	105.39	72.68
अनुदान संख्या-06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
4	नाबाई के राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण कोष से ऋण [पी-01-06-2049-01-200-96-51]	319.06	233.99	73.34
5	12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर समेकित राज्य योजना ऋण [पी-01-06-2049-04-109-99-51]	25.00	9.86	39.44
अनुदान संख्या-08-लोक ऋण				
6	ब्लॉक ऋण (08-6004-02-101-51-51)	153.18	111.82	73.00
अनुदान संख्या-10.-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
7	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना [पी-02-10-2401-51-789-88-51]	30.00	12.91	43.03
8	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए) [पी-01-10-2406-04-103-99-51]	72.00	32.45	45.07
9	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य [पी-01-10-2406-04-103-96-51]	148.00	26.24	17.73
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
10	कक्षा IX-XII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51]	30.00	14.24	47.47
11	पॉलिटेक्निक भवन (राज्य योजना) [पी-01-12-4202-02-104-99-51]	20.00	14.10	70.50
अनुदान संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन				
12	खेल अवसंरचना योजना [पी-01-13-4202-03-102-99-51]	80.00	63.53	79.41
अनुदान संख्या-16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण				
13	अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक राहत [पी-02-16-2225-01-102-96-51]	28.00	20.52	73.29
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन				
14	सीआरएफ से अंतरण -अंतर खाता अंतरण [पी-03-17-3054-80-797-99-51]	150.00	108.60	72.40
15	न्याय प्रशासन [पी-02-17-4216-01-106-99-51]	50.00	18.60	37.20
16	सीआरएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन [पी-03-17-5054-03-337-87-51]	150.00	93.47	62.31
17	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण [पी-01-17-5054-04-101-84-98]	93.00	70.60	75.91
18	अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन [पी-02-17-5054-04-337-49-99]	375.00	184.88	49.30
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
19	हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एचईपीसी) को सहायता अनुदान [पी-01-19-2851-51-190-99-51]	10.00	7.22	72.20
20	भूमि की वार्षिकी [पी-01-19-4701-06-800-97-51]	10.00	7.24	72.40
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
21	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान [पी-03-20-2217-80-191-97-51]	320.00	165.22	51.63
22	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान [पी-03-20-2217-80-192-93-51]	210.00	63.43	30.20
23	प्रशासनिक आकस्मिकता योजना (मनरेगा) -सामान्य [पी-03-20-2505-02-101-98-51]	35.00	4.60	13.14
कुल		2,484.94	1,382.41	55.63

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (ज); पृष्ठ 86)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आरई)	वास्तविक व्यय (एई)	संशोधित अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-8-लोक ऋण					
1	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण [08-6003-51-105-99-51]	638.12	2138.12	697.07	32.60
अनुदान संख्या-10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
2	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना [पी-01-10-2401-51-108-81-51]	200.00	250.00	196.00	78.40
3	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास निधि में अंतरण [पी-01-10-2853-02-797-99-51]	69.00	72.00	57.21	79.46
अनुदान संख्या-11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
4	फील्ड स्टाफ [पी-01-11-2408-01-001-98-51]	316.24	611.45	415.57	67.96
5	टीपीडीएस परिचालन के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण का पुनरुद्धार [पी-01-11-2408-01-001-91-51]	25.00	111.00	49.21	44.33
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
6	राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए राज्य आयुष सोसायटी, हरियाणा को सहायता अनुदान [पी-02-14-2210-04-101-81-51]	40.00	53.24	36.34	68.26
अनुदान संख्या-15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
7	औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, रोहतक और अम्बाला [पी-01-15-2230-01-101-98-51]	12.24	17.65	13.43	76.09
अनुदान संख्या-17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
8	हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सा प्रदान करना [पी-01-17-5054-80-800-98-51]	50.00	90.83	58.07	63.93
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
9	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान [पी-01-20-2217-80-192-92-51]	10.00	99.22	59.68	60.15
10	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को बंधित अनुदान [पी-03-20-2515-51-198-98-51]	587.40	877.40	580.38	66.15
11	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [पी-01-20-4215-01-101-94-51]	15.00	25.00	14.81	59.24
कुल		1,963.00	4,345.91	2,177.77	50.11

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.3 (iii) (झ); पृष्ठ 86)

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए मूल अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान समान था लेकिन व्यय प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	मूल/संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (₹.ई)	प्रावधान के वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
अनुदान संख्या-5-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
1	कार्यालय भवन [पी-01-05-4055-51-207-99-51]	50.00	112.46	224.92
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
2	ब्लॉक ऋण [पी-01-06-2049-04-101-99-51]	40.00	98.34	245.85
अनुदान संख्या-07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम				
3	त्यौहार अग्रिम [पी-01-07-7610-51-800-98-51]	20.00	29.72	148.60
अनुदान संख्या-12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
4	राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम [पी-01-12-2202-01-793-98-51]	50.00	72.33	144.66
अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए				
5	टीकाकरण कार्यक्रम [पी-03-14-2211-51-103-99-51]	40.00	71.48	178.70
अनुदान संख्या-19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
6	ब्याज [पी-01-19-2700-02-800-99-51]	155.00	516.77	333.40
अनुदान संख्या-20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
7	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड [पी-02-20-2217-80-190-99-51]	100.00	196.00	196.00
8	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को संयुक्त अनुदान [पी-03-20-2515-51-198-97-51]	391.60	570.11	145.58
कुल		846.60	1,667.21	196.93

स्रोत: वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेज और वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 89)

उन मामलों का विवरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
राजस्व दत्तमत					
1	1-विधान सभा	93.60	0.97	80.91	-13.66
2	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	186.78	0.50	173.82	-13.46
3	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,245.35	53.20	723.24	-575.31
4	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2,940.52	774.30	2,377.78	-1,337.04
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्यजीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,917.20	286.63	3,371.26	-2,832.57
6	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	21,111.63	196.99	17,855.58	-3,453.04
7	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	6,445.77	259.15	6,086.29	-618.63
8	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,639.94	24.07	867.94	-796.07
9	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,514.07	500.00	4,672.35	-1,341.72
10	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12,099.89	1,126.28	11,184.95	-2,041.22
11	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12,805.01	1,263.12	9,604.79	-4,463.34
	कुल	69,999.76	4,485.21	56,998.91	-17,486.06
पूँजीगत (दत्तमत)					
12	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	33.19	6.39	18.85	-20.73
13	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	334.00	30.00	163.84	-200.16
14	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	317.32	150.00	247.04	-220.28
15	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,304.93	160.00	724.69	-740.24
16	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,629.35	400.00	864.26	-1,165.09
17	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	2,588.59	171.17	1,920.05	-839.71
18	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,572.85	1,073.92	4,130.37	-1,516.40
19	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,036.72	2,444.79	3,843.01	-3,638.50
	कुल	15,816.95	4,436.27	11,912.11	-8,341.11
	कुल योग	85,816.71	8,921.48	68,911.02	-25,827.17

**उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अत्यधिक सिद्ध हुआ**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधान से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	13,676.89	1,263.79	14,101.62	-839.06
2	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,633.27	1,268.90	10,922.64	-979.53
	कुल	24,310.16	2,532.69	25,024.26	-1,818.59
राजस्व (प्रभारित)					
3	5-गृह/जेल/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	237.95	22.22	244.86	-15.31
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,249.91	1,000.00	21,604.97	-644.94
	कुल	21,487.86	1,022.22	21,849.83	-660.25
पूँजीगत (दत्तमत)					
5	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,398.40	967.09	1,688.89	-676.60
	कुल	1,398.40	967.09	1,688.89	-676.60
पूँजीगत प्रभारित					
6	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	50.00	100.00	133.55	-16.45
	कुल	50.00	100.00	133.55	-16.45
	कुल योग	47,246.42	4,622.00	48,696.53	-3,171.89

**उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)
अपर्याप्त सिद्ध हुआ**

पूँजीगत प्रभारित					
क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	व्यय	कुल प्रावधान से अधिक
1	8-लोक ऋण	55,220.37	2,639.00	59,194.20	1,334.83
	कुल	55,220.37	2,639.00	59,194.20	1,334.83

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 90)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त
पुनःविनियोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/चुनाव				
1.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 72-हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण की योजना 98-कार्यालय भवन का निर्माण	(ओ) 0.20 (एस) 6.39 (आर) (-) 5.68 0.91	5.90	4.99
अनुदान संख्या 04 राजस्व/आवकारी एवं कराधान				
2.	2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार 101-संग्रहण प्रभार 51-उपलब्ध नहीं-	(ओ) 0.20 (आर) 81.53 81.73	0.0	(-) 81.73
3.	2053-जिला प्रशासन 093-जिला स्थापना 99-स्थापना	(ओ) 389.74 (आर) (-) 177.70 212.04	267.18	55.14
4.	2053-जिला प्रशासन 094-अन्य स्थापना 99-उप-मंडलीय स्थापना	(ओ) 52.40 (आर) (-) 31.13 21.27	32.68	11.41
5.	2053-जिला प्रशासन 101-आयुक्त 99-स्थापना	(ओ) 21.79 (आर) (-) 6.04 15.75	18.50	2.75
6.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि. 101-निःशुल्क राहत 97-बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति	(ओ) 160.10 (आर) 46.67 206.77	275.49	68.72
7.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 111-शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान 51-उपलब्ध नहीं-	(ओ) 2.00 (आर) (-) 1.00 1.00	2.68	1.68
8.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात आदि 282-जन स्वास्थ्य 99-जल निकासी ऑपरेशन	(ओ) 8.00 (आर) (-) 8.00 0.00	1.72	1.72
9.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि. 101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण 99-राज्य का अंशदान	(ओ) 722.00 (एस) 296.00 (आर) (-) 761.26 256.74	577.60	320.86
10.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 96-कीट हमले/भूस्खलन/बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता	(ओ) 240.00 (आर) (-) 172.65 67.35	124.42	57.07
11.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99-ओलावृष्टि/शीत लहर/ठंड-राहत	(ओ) 40.00 (आर) 71.46 111.46	144.52	33.06
12.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 99-जिला प्रशासन	(ओ) 140.00 (एस) 30.00 (आर) (-) 152.26 17.74	125.18	107.44

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
13.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 98-जिला प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-) 31.35 18.65	15.67	(-) 2.98
05-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)				
14.	2014-न्याय प्रशासन 102-उच्च न्यायालय 98-स्थापना 98-स्थापना व्यय	(ओ) 44.85 (आर) (-) 24.25 20.60	40.26	19.66
15.	2014-न्याय प्रशासन 102-उच्च न्यायालय 99-न्यायाधीश	(ओ) 192.41 (एस) 22.22 (आर) (-) 12.55 202.08	203.96	01.88
16.	2014-न्याय प्रशासन 114-कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता 96-हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (805) जेल नियम, 1996 98-स्थापना व्यय	(ओ) 34.63 (आर) 8.56 43.19	32.95	(-) 10.24
17.	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस बल 99-जिला पुलिस बल	(ओ) 4,399.57 (आर) 7.19 4,406.76	4409.09	2.33
18.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60-कार्यालय भवन-अन्य भवन 051-निर्माण 96 -जेल	(ओ) 110.00 (आर) (-) 109.51 0.49	108.28	107.79
19.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 97-जेल	(ओ) 30.00 (आर) (-) 29.61 0.39	26.91	26.52
अनुदान संख्या 06-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी				
20.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 101-बाजार ऋण पर ब्याज 99-ब्याज वाले बाजार ऋण पर ब्याज	(ओ) 16,102.00 (एस) 890.00 (आर) 348.11 17,340.11	16,913.90	(-) 426.21
21.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 115-भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 99-भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 10.00 (आर) (-) 10.00 0.00	9.03	9.03
22.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजनाओं के कारण ब्याज का भुगतान	(ओ) 1,346.76 (आर) (-) 426.10 920.66	1,346.76	426.10
23.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 600.00 (आर) (-) 261.64 338.36	364.81	26.45
24.	2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 305-ऋण प्रबंधन 99-नये ऋण जारी करने आदि पर व्यय	(ओ) 50.00 (आर) (-) 50.00 0.00	65.09	65.09
25.	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज 99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ) 1,350.00 (एस) 110.00 (आर) (-) 1,460.00 0.00	1,270.57	1,270.57
26.	2049-ब्याज भुगतान 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज 108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज 99-जी.आई.एस. पर ब्याज	(ओ) 25.00 (आर) (-) 25.00 0.00	25.00	25.00

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
27.	2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 40.00 (आर) (-) 39.92 0.08	98.35	98.27
28.	2049-ब्याज भुगतान 04-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज 109-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य प्लान ऋणों पर ब्याज 99-12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर समेकित राज्य योजना ऋण पर ब्याज	(ओ) 25.00 (आर) (-) 25.00 0.00	9.86	9.86
29.	2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधि पर ब्याज 101-मूल्यहास/नवीनीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 97-मूल्यहास आरक्षित निधि (सरकारी प्रेस)	(ओ) 2.00 (आर) (-) 2.00 0.00	2.26	2.26
30.	2049-ब्याज भुगतान 05-आरक्षित निधि पर ब्याज 101-मूल्यहास/नवीनीकरण आरक्षित निधि में ब्याज 98-मूल्यहास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	(ओ) 60.00 (आर) (-) 60.00 0.00	62.39	62.39
31.	2049-ब्याज भुगतान 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज 101-जमा पर ब्याज 98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के प्रति जमा पर ब्याज	(ओ) 16.00 (आर) (-) 16.00 0.00	16.84	16.84
32.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 101-सेवा निवर्तन और सेवानिवृत्ति भत्ते 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 7,500.00 (एस) 785.03 (आर) (-) 8,285.03 0.00	7,820.43	7,820.43
33.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 102-पेंशन का परिवर्तित मूल्य 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 1,200.00 (आर) (-) 1,200.00 0.00	1,115.21	1,115.21
34.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 104-ग्रेच्युटी 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 1,300.00 (आर) (-) 1,300.00 0.00	1,361.94	1,361.94
35.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 105-पारिवारिक पेंशन 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 1,275.00 (आर) (-) 1,275.00 0.00	1,489.40	1,489.40
36.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 106-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार 51-उपलब्ध नहीं	(ओ) 299.99 (आर) (-) 299.99 0.00	21.03	21.03
37.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 111-विधायकों को पेंशन 99-राज्य विधानमंडल के सदस्य	(ओ) 200.00 (आर) (-) 200.00 0.00	24.24	24.24
38.	2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-सिविल 117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा विधानमंडल की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 99-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	(ओ) 1,225.00 (एस) 325.00 (आर) (-) 1,550.00 0.00	1,664.44	1,664.44
07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम				
39.	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण 800-अन्य अग्रिम 96-डिफॉल्ट राशि के लिए भुगतान/वसूली	(ओ) 48.00 (आर) (-) 17.69 30.31	38.53	8.22
40.	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण 800-अन्य अग्रिम 98-त्यौहार अग्रिम	(ओ) 20.00 (आर) (-) 4.25 15.75	29.72	13.97

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
41.	7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण 800-अन्य अग्रिम 99-राज्य सेवा अधिकारियों (अराजपत्रित) को गेहूँ ऋण	(ओ) 80.00 (आर) (-) 32.13 47.87	25.81	(-) 22.06
10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
42.	2403-पशुपालन 113-प्रशासनिक जांच और सांख्यिकी 96-दूध, अंडे, ऊन एवं मांस/चारा एवं घास के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण आकलन की योजना/मूल्यांकन विकास परियोजना	(ओ) 1.52 (आर) 1.28 2.80	1.40	(-)1.40
43.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव 02-पर्यावरण वानिकी एवं वन्यजीव 110-वन्य जीवन संरक्षण 93-बहुउपयोगी क्षेत्र में वन्य जीवन संरक्षण-	(ओ) 10.00 (आर) (-) 4.80 5.20	6.40	1.20
44.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव 02-पर्यावरण वानिकी एवं वन्यजीव 800-अन्य व्यय 98-चिड़ियाघर और हिरण पार्क का विस्तार	(ओ) 8.00 (आर) (-) 4.54 3.46	6.29	2.83
45.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव 04-वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास 103-राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए) 96-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	(ओ) 148.00 (आर) (-) 135.53 12.47	26.24	13.77
46.	4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय 113-कृषि इंजीनियरिंग 97-कृषि कार्यालय भवन का निर्माण 99-कृषि विभाग के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/खरीद की योजना	(ओ) 63.00 (आर) (-)62.42 0.58	27.69	27.11
47.	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय 101-पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य 99-राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण 99-राज्य सहायता	(ओ) 100.00 (आर) (-)63.32 36.68	38.78	2.10
11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता				
48.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय 01-खाद्य 101-खरीद और आपूर्ति 98-स्थापना लागत प्रभार्य	(ओ) 375.00 (आर) (-)238.97 136.03	134.76	(-) 1.27
12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास				
49.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 105-शिक्षक प्रशिक्षण 92-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना	(ओ) 100.00 (आर)(-) 49.84 50.16	29.80	(-)20.36
50.	2203-तकनीकी शिक्षा 001-निदेशन एवं प्रशासन 93-तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टाफ)	(ओ) 13.47 (आर) (-)1.81 11.66	9.67	(-)1.99
51.	2203-तकनीकी शिक्षा 105-पॉलिटेक्निक 59-सरकारी पॉलिटेक्निक का विकास 98-स्थापना व्यय	(ओ) 318.32 (आर) 38.01 356.33	309.65	(-)46.68
52.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 92-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी)	(ओ) 765.00 (एस) 34.00 (आर) (-) 56.14 742.86	685.65	(-)57.21
53.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 90-अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वित्तीय सहायता	(ओ) 60.00 (आर) (-) 21.55 38.45	39.80	1.35
54.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 202-माध्यमिक शिक्षा 99-माध्यमिक विद्यालय भवन	(ओ) 50.00 (एस) 300.00 (आर) (-) 28.13 321.87	327.44	5.57

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
55.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 99-कॉलेज भवन	(ओ) 150.00 (एस) 53.24 (आर) (-)87.15 116.09	115.00	(-)1.09
56.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-)6.95 3.05	1.00	(-)2.05
57.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 97-जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन 99-रिमांड/ऑब्जर्वेशन होम	(ओ) 50.00 (आर) (-)36.86 13.14	14.15	1.01
58.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 98-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण 98-राज्य का अंशदान	(ओ) 50.00 (आर) (-)49.68 0.32	7.73	7.41
59.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण	(ओ) 10.00 (आर) (-)10.00 0.00	1.59	1.59
60.	6202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण 02-तकनीकी शिक्षा 105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान 94-सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक के विकास के लिए ऋण	(ओ) 40.00 (आर) (-)8.00 32.00	29.40	(-)2.60
13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन				
61.	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय 03-खेल और युवा सेवाएं 101-युवा छात्रावास 99-भवन (युवा छात्रावास)	(ओ) 15.00 (आर) (-)15.00 0.00	6.43	6.43
14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए				
62.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001-निदेशन एवं प्रशासन 99-मुख्यालय स्टाफ-स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार एवं सुदृढीकरण	(ओ) 0.20 (आर)41.78 41.98	0.13	(-)41.85
63.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110-अस्पताल और औषधालय 99-भवन का नाम बदलकर अवसंरचनाप्रशासनिक व्यय कर दिया गया	(ओ) 300.00 (आर) (-)249.83 50.17	236.40	186.23
64.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 101-आयुर्वेद 92-सरकारी आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक औषधालयों के भवन का निर्माण/मरम्मत	(ओ) 50.00 (आर) (-)50.00 0.00	3.28	3.28
15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण				
65.	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम 101-औद्योगिक संबंध 98-औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय, श्रमिक न्यायालय, रोहतक और अम्बाला	(ओ) 12.24 (आर) 6.72 18.96	13.43	(-)5.53
66.	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 02-रोजगार सेवा 101-रोजगार सेवाएं 92-रोजगार कार्यालय के लिए स्टाफ और शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता	(ओ) 786.35 (आर) (-)445.02 341.33	334.72	(-)6.61

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
16-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय और अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण				
67.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 99-अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	(ओ) 205.00 (एस) 40.60 (आर) (-) 96.60 149.00	203.00	54.00
68.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 93-बीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्र घटक कर दिया गया	(ओ) 70.00 (एस) 45.00 (आर) (-) 101.12 13.88	30.09	16.21
17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन				
69.	2041-वाहनों पर कर 102-मोटर वाहनों का निरीक्षण 98-सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं विनियामक विंग का कम्प्यूटरीकरण	(ओ) 55.00 (आर) (-) 26.83 28.17	38.18	10.01
70.	2059-लोक निर्माण 60-अन्य भवन 053-रखरखाव और मरम्मत 99-रखरखाव और मरम्मत	(ओ) 10.00 (आर) (-) 4.73 5.27	3.87	(-) 1.40
71.	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 96-कार्यान्वयन	(ओ) 519.85 (आर) (-) 53.08 466.77	460.21	(-) 6.56
72.	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 97-पर्यवेक्षण	(ओ) 33.88 (आर) (-) 8.60 25.28	23.87	(-) 1.41
73.	2059-लोक निर्माण 80-सामान्य 053-रखरखाव और मरम्मत 99-रखरखाव और मरम्मत	(ओ) 100.00 (आर) 47.24 147.24	153.64	6.40
74.	2216-आवास 05-सामान्य पूल आवास 053-रखरखाव और मरम्मत 99-अन्य रखरखाव व्यय 88-सामान्य रखरखाव और मरम्मत	(ओ) 40.01 (आर) 7.63 47.64	46.55	(-) 1.09
75.	3054-सड़कें और पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 600.00 (एस) 500.00 (आर) (-) 366.01 733.99	731.34	(-) 2.65
76.	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 96-F-अन्य व्यय	(ओ) 97.50 (आर) (-) 97.00 0.50	92.50	92.00
77.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 98-न्याय प्रशासन	(ओ) 80.00 (आर) (-) 49.95 30.05	32.34	2.29
78.	4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 99-लोक निर्माण	(ओ) 60.00 (आर) (-) 3.82 56.18	70.80	14.62
79.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 96-लोक निर्माण	(ओ) 25.00 (आर) (-) 17.33 7.67	9.83	2.16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
80.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी आवासीय भवन 106-सामान्य पूल आवास 99-न्याय प्रशासन	(ओ) 50.00 (आर) (-)32.58 17.42	18.60	1.18
81.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 87-सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और उन्नयन	(ओ) 150.00 (आर) (-)54.12 95.88	93.47	(-)2.41
82.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 88-हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार	(ओ) 150.00 (एस)150.00 (आर) 7.89 307.89	310.72	2.83
83.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 101-पुल 84-हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	(ओ) 400.00 (आर) (-)209.93 190.07	178.75	(-)11.32
84.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 48-प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता 98-गुरुग्राम में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से फारुखनगर वाया जमालपुर तक 2 लेन सड़क का निर्माण	(ओ) 0.00 (एस)35.79 (आर) (-)5.11 30.68	37.69	7.01
85.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 48-प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता 99-गुरुग्राम और नूंह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढीकरण और आईपीबी	(ओ) 0.00 (एस)13.66 (आर) (-)8.80 4.86	0.00	(-)4.86
86.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 97-नाबाई योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण	(ओ) 180.00 (आर)(-)60.02 119.98	118.46	(-)1.52
87.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 98-ग्रामीण सड़कें 99-राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण	(ओ) 500.00 (एस)460.00 (आर)197.46 1,157.46	1,161.89	4.43
88.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 337-सड़क निर्माण कार्य 99-जिला सड़कें 99-जिला सड़कें	(ओ) 70.00 (आर)(-)30.47 39.53	42.91	3.38
89.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला एवं अन्य सड़कें 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 99-अनुसूचित जाति बाह्य क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत 99-राज्य का अंशदान	(ओ) 70.00 (आर)(-)28.42 41.58	42.60	1.02
90.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 99-अनुसंधान	(ओ) 50.00 (एस) 100.00 (आर) (-)15.29 134.71	133.55	(-)1.16

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूर्क आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
91.	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना 001-निर्देशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 34.69 (आर) (-)9.36 25.33	0.59	(-) 24.74
92.	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना 001-निर्देशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 147.54 (आर) (-)24.56 122.98	3.85	(-) 119.13
93.	2700-मुख्य सिंचाई 01-बहुउद्देशीय नदी परियोजना 001-निर्देशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.37 (आर) (-)1.67 2.70	0.14	(-) 2.56
94.	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी यमुना नहर पुनर्निर्माण परियोजना सहित (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 89-विशेष राजस्व	(ओ) 55.36 (आर) (-)19.27 36.09	1.05	(-)35.04
95.	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी यमुना नहर पुनर्निर्माण परियोजना सहित (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 537.75 (आर) (-)68.89 468.86	11.04	(-) 457.82
96.	2700-मुख्य सिंचाई 02-पश्चिमी यमुना नहर पुनर्निर्माण परियोजना सहित (वाणिज्यिक) 001-निर्देशन एवं प्रशासन 92-अधीक्षण अभियंता	(ओ) 30.98 (आर) (-)4.37 26.61	0.57	(-) 26.04
97.	2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निर्देशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 73.25 (आर) (-)16.82 56.43	28.03	(-) 28.40
98.	2700-मुख्य सिंचाई 18-गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101-रखरखाव और मरम्मत 98-अन्य रखरखाव कार्य	(ओ) 22.00 (आर) 39.84 61.84	66.73	4.89
99.	2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 93-मुख्य अभियन्ता	(ओ) 86.64 (आर) 2.22 88.86	14.42	(-)74.44
100.	2700-मुख्य सिंचाई 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रखरखाव	(ओ) 60.00 (आर) (-)10.00 50.00	47.35	(-)2.65
101.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-नहर नेटवर्क का पुनर्वास-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में सुधार	(ओ) 150.00 (आर) (-)47.82 102.18	109.72	7.54
102.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13-नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहर नेटवर्क के नहर पुनर्वास का निर्माण	(ओ) 300.00 (आर) (-)70.05 229.95	245.10	15.15
103.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 97-नहरों और नालियों पर पुलों और संरचनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण	(ओ) 250.00 (आर) (-)90.33 159.67	143.56	(-) 16.11

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुन:विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
104.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आरआईडीएफ (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों का सुधार	(ओ) 200.00 (आर) (-)36.09 163.91	180.61	16.70
105.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/मौजूदा चैनलों में सुधार 800-अन्य व्यय 98-नाबार्ड-नहर का निर्माण	(ओ) 200.00 (आर) (-)40.60 159.40	157.61	(-)1.79
106.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 25-उपचारित अपशिष्ट जल के लिए सिंचाई योजना 800-अन्य व्यय 99-सिंचाई प्रयोजन के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति शाखाएं	(ओ) 100.00 (आर) (-)17.06 82.94	86.84	3.90
107.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्ययs 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 99-बाढ़ सुरक्षा और आपदा तैयारी	(ओ) 300.00 (आर) 123.38 423.38	436.79	13.41
20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायतें)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग				
108.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 001-निर्देशन एवं प्रशासन 89-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूएच-पीएलओ-आरईवी)	(ओ) 450.00 (एस) 110.00 (आर)(-) 110.00 450.00	0.00	(-)450.00
109.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज का रखरखाव 98-रखरखाव प्रभार	(ओ) 100.00 (आर) 25.00 125.00	130.89	5.89
110.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज का रखरखाव 99-ऊर्जा प्रभार	(ओ) 150.00 (एस) 25.00 (आर)149.23 324.23	326.05	1.82
111.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 754.60 (एस)420.00 (आर) (-)49.09 1,125.51	1,109.31	(-)16.20
112.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति 93-जलापूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन	(ओ) 200.00 (आर) 72.18 272.18	274.02	1.84
113.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 101-शहरी जल आपूर्ति 99-शहरी जल आपूर्ति 99-संवर्द्धन जल आपूर्ति में वृद्धि	(ओ) 110.00 (आर) 48.69 158.69	155.49	(-)3.20
114.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 93-ग्रामीण जल आपूर्ति 90-गांव में पेयजल आपूर्ति के अद्यतन के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 25.00 (आर) (-)8.47 16.53	26.14	9.61
115.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 93-ग्रामीण जल आपूर्ति 93-नाबार्ड	(ओ) 200.00 (आर) (-)19.45 180.55	187.97	7.42

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: अनुपूरक आर: पुनःविनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य (+) बचत (-)
116.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जल आपूर्ति 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति 99-एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज केन्द्रीय का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम)- कवरेज रख दिया गया है	(ओ) 860.00 (एस) 1,919.75 (आर) (-)12,182.25 597.50	591.24	(-)6.26
117.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 96-ग्रामीण जलापूर्ति संवर्धन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	(ओ) 36.00 (आर) (-)6.13 29.87	31.45	1.58
118.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलापूर्ति 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 97-नाबाई के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	(ओ) 50.00 (आर) (-)6.15 43.85	47.42	3.57
119.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं 94-सीवरेज एवं स्वच्छता	(ओ) 150.00 (आर) 128.46 278.46	268.32	(-) 10.14
120.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 102-ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं 98-ग्रामीण स्वच्छता 97-गांव में सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए महाग्राम योजना	(ओ) 50.00 (आर) (-)7.86 42.14	43.84	1.70
121.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय 02-सीवरेज एवं स्वच्छता 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99- शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों को सीवरेज सुविधाएं	(ओ) 15.00 (आर) 3.90 18.90	24.73	5.83
122.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 201-जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98-शहरी तूफान जल निकासी कार्य	(ओ) 40.00 (आर) 48.34 88.34	93.38	5.04
	कुल	36,578.23	51,474.54	(-) 2,040.76 (+) 16,937.07

सार	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विनियोग से अधिक व्यय (+)	79	(+) 16,937.07
विनियोग से बचत (-)	43	(-) 2,040.76
कुल	122	

₹ 10 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 63, 67, 68, 69, 76, 78, 102, 104 और 107	37	16,768.25
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
2, 16, 20, 41, 49, 51, 52, 62, 83, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 108, 111 और 119	20	1,975.72
कुल	57	

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.4; पृष्ठ 90)

मार्च 2024 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्राधान	वास्तविक	बचत/अधिक	अभ्यर्पित राशि
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचत के विरुद्ध कम राशि समर्पित की गई थी							
राजस्व (दत्तमत)							
1	1-विधान सभा	93.60	0.97	94.57	80.91	-13.66	13.65
2	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/ विधिक सेवा प्राधिकरण)	7,820.13	0.01	7,820.14	7,249.91	-570.23	563.27
3	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	21,111.63	196.99	21,308.62	17,855.58	-3,453.04	3,326.86
4	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	570.85	0.00	570.85	404.17	-166.68	165.97
5	15-श्रम/रोजगार/कोशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,639.94	24.07	1,664.01	867.94	-796.07	780.7
6	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,514.07	500.00	6,014.07	4,672.35	-1,341.72	1,267.35
7	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	473.49	0.00	473.49	364.78	-108.71	108.47
8	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	-4,463.34	4,006.65
	कुल	50,028.72	1,985.16	52,013.88	41,100.43	(-) 10,913.45	10,232.92
पूँजीगत दत्तमत							
9	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,304.93	160.00	1,464.93	724.69	-740.24	704.00
10	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	15,359.06	0.00	15,359.06	12,863.47	-2,495.59	2,494.29
11	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	299.50	0.00	299.50	150.71	-148.79	105.22
12	15-श्रम/रोजगार/कोशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	331.90	0.03	331.93	64.18	-267.75	212.45
13	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,572.85	1,073.92	5,646.77	4,130.37	-1,516.40	1,155.79
14	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	192.03	0.00	192.03	60.49	-131.54	111.51
15	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,141.52	0.00	4,141.52	2,825.84	-1,315.68	765.32
16	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	-3,638.50	3,312.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
	कुल	31,238.51	3,678.74	34,917.25	24,662.76	(-) 10,254.49	8,860.58
पूँजीगत प्रभारित							
17	17-अवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	50.00	100.00	150.00	133.55	-16.45	15.29
18	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30.00	0.00	30.00	16.46	-13.54	13.11
	कुल	80.00	100.00	180.00	150.01	(-) 29.99	28.40
18	कुल योग	81,347.23	5,763.90	87,111.13	65,913.20	(-) 21,197.93	19,121.90
ऐसे मामले जिनमें वास्तविक बचत के विरुद्ध अधिक राशि अभ्यर्पित की गई थी							
राजस्व दत्तमत							
1	2-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	186.78	0.50	187.28	173.82	-13.46	13.60
2	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,245.35	53.20	1,298.55	723.24	-575.31	575.37
3	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2,940.52	774.30	3,714.82	2,377.78	-1,337.04	1,872.07
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	13,676.89	1,263.79	14,940.68	14,101.62	-839.06	14,335.81
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	-2,832.57	2,850.22
6	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	2,107.90	0.31	2,108.21	1,838.91	-269.30	269.45
7	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	6,445.77	259.15	6,704.92	6,086.29	-618.63	1,231.01
8	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,633.27	1,268.90	11,902.17	10,922.64	-979.53	1,047.99
9	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12,099.89	1,126.28	13,226.17	11,184.95	-2,041.22	2,396.75
	कुल	55,253.57	5,033.06	60,286.63	50,780.51	(-) 9,506.12	24,592.27
राजस्व प्रभारित							
10	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/ विधिक सेवा प्राधिकरण)	237.95	22.22	260.17	244.86	-15.31	36.86
11	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	-644.94	2,233.23
	कुल	21,487.86	1,022.22	22,510.08	21,849.83	(-) 660.25	2,270.09
पूँजीगत दत्तमत							
12	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	33.19	6.39	39.58	18.85	-20.73	25.73
13	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	334.00	30.00	364.00	163.84	-200.16	304.83
14	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/ विधिक सेवा प्राधिकरण)	579.50	0.02	579.52	397.01	-182.51	316.83

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत/आधिक्य	अभ्यर्पित राशि
15	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीव/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	-1,165.09	1,194.58
16	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,398.40	967.09	2,365.49	1,688.89	-676.60	681.52
17	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	2,588.59	171.17	2,759.76	1,920.05	-839.71	1,029.48
	कुल	6,563.03	1,574.67	8,137.70	5,052.90	(-) 3,084.80	3,552.97
17	कुल योग	83,304.46	7,629.95	90,934.41	77,683.24	(-) 13,251.17	30,415.33
ऐसे मामले जिनमें राशि को वास्तविक बचत के रूप में अभ्यर्पित कर दिया गया था							
राजस्व प्रभारित							
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	53.93	0	53.93	23.99	-29.94	29.94
	कुल	53.93	0	53.93	23.99	(-) 29.94	29.94
पूँजीगत दस्तमत							
2	1-विधान सभा	50.00	0.00	50.00	0.00	-50.00	50.00
3	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	317.32	150.00	467.32	247.04	-220.28	220.28
4	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	57.31	0.00	57.31	6.23	-51.08	51.08
	कुल	424.63	150.00	574.63	253.27	(-) 321.36	321.36
4	कुल योग	478.56	150.00	628.56	277.26	(-) 351.30	351.30
39	कुल योग	1,65,130.25	13,543.85	1,78,674.10	1,43,873.70	(-) 34,800.40	49,888.53

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 91)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	3-सामान्य प्रशासन/चुनाव	1,245.35	53.20	1,298.55	723.24	-575.31
2	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2,940.52	774.30	3,714.82	2,377.78	-1,337.04
3	5-गृह/कारागार/होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	7,820.13	0.01	7,820.14	7,249.91	-570.23
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	13,676.89	1,263.79	14,940.68	14,101.62	-839.06
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीव/परिस्थितिकी एवं पर्यावरण	5,917.20	286.63	6,203.83	3,371.26	-2,832.57
6	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	2,107.90	0.31	2,108.21	1,838.91	-269.30
7	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	21,111.63	196.99	21,308.62	17,855.58	-3,453.04
8	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	570.85	0.00	570.85	404.17	-166.68
9	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	6,445.77	259.15	6,704.92	6,086.29	-618.63
10	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	1,639.94	24.07	1,664.01	867.94	-796.07
11	16-अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण	10,633.27	1,268.90	11,902.17	10,922.64	-979.53
12	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन	5,514.07	500.00	6,014.07	4,672.35	-1,341.72
13	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	473.49	0.00	473.49	364.78	-108.71
14	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12,099.89	1,126.28	13,226.17	11,184.95	-2,041.22
15	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12,805.01	1,263.12	14,068.13	9,604.79	-4,463.34
कुल		1,05,001.91	7,016.75	1,12,018.66	91,626.21	-20,392.45
राजस्व प्रभारित						
16	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	-644.94
कुल		21,249.91	1,000.00	22,249.91	21,604.97	-644.94
पूंजीगत दत्तमत						
17	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	334.00	30.00	364.00	163.84	-200.16
18	5-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)	579.50	0.02	579.52	397.01	-182.51

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूर्क	कुल	वास्तविक	बचत
19	6-वित्तयोजना एवं सांख्यिकी	317.32	150.00	467.32	247.04	-220.28
20	7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,304.93	160.00	1,464.93	724.69	-740.24
21	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	1,629.35	400.00	2,029.35	864.26	-1,165.09
22	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	15,359.06	0.00	15,359.06	12,863.47	-2,495.59
23	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	1,398.40	967.09	2,365.49	1,688.89	-676.60
24	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	299.50	0.00	299.50	150.71	-148.79
25	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए	2,588.59	171.17	2,759.76	1,920.05	-839.71
26	15-श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	331.90	0.03	331.93	64.18	-267.75
27	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	4,572.85	1,073.92	5,646.77	4,130.37	-1,516.40
28	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी	192.03	0.00	192.03	60.49	-131.54
29	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	4,141.52	0.00	4,141.52	2,825.84	-1,315.68
30	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (ग्रामीण एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5,036.72	2,444.79	7,481.51	3,843.01	-3,638.50
कुल		38,085.67	5,397.02	43,482.69	29,943.85	-13,538.84
कुल योग		1,64,337.49	13,413.77	1,77,751.26	1,43,175.03	-34,576.23

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (i); पृष्ठ 92)

उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत्त)						
1.	3-सामान्य प्रशासन/बुनाव					
1.	2852-उद्योग, 07-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, 202-इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, 91-हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	300.00	0.00	75.00	225.00	75.00
2	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान					
2.	2245-प्रकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, 101-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, 99-राज्य का अंशदान	722.00	296.00	577.60	440.40	43.26
3.	2245-प्रकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 08-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, 797-आरक्षित निधि और जमा खातों में अंतरण-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि, 99-राज्य का अंशदान	413.00	0.00	0.00	413.00	100.00
3	5-गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विविध सेवा प्राधिकरण)					
4.	2055-पुलिस, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीओएल-पीएलओ-आरईवी)	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी					
5.	2049-व्याज भुगतान, 01-आंतरिक ऋण पर व्याज, 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर व्याज, 97-एन.सी.डी.सी. से ऋण	600.00	0.00	364.81	235.19	39.20
6.	2049-व्याज भुगतान, 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर व्याज, 104-राज्य भविष्य निधि पर व्याज, 99-राज्य भविष्य निधि पर व्याज	1,350.00	110.00	1,270.57	189.43	12.97
7.	2075-विविध सामान्य सेवाएं, 800-अन्य व्यय, 88-मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई)	200.58	0.00	0.51	200.07	99.75
5	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
8.	2401-फसल पालन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 94-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एजीआर-पीएलओ-आरईवी)	76.00	150.00	0.00	226.00	100.00
9.	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 81-हरियाणा में गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना	200.00	136.61	196.00	140.61	41.77
10.	2401-फसल पालन, 108-वाणिज्यिक फसलें, 83-फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की योजना	350.00	0.00	215.00	135.00	38.57
11.	2401-फसल पालन, 109-विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण, 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	200.00	0.00	58.17	141.83	70.92
12.	2401-फसल पालन, 111-कृषि, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 90-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	650.00	0.00	247.12	402.88	61.98
13.	2403-पशुपालन, 102-मवेशी एवं भैंस विकास, 69-नौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना	425.00	0.00	0.97	424.03	99.77
14.	2406-वानिकी एवं वन्यजीव, 04-वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास, 103-राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए), 96-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	148.00	0.00	26.24	121.76	82.27
6	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
15.	2408-खाद्य भण्डारण एवं गोदाम, 01-खाद्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-खाद्य एवं आपूर्ति आपूर्ति के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (एफएएस-पीएलओ-आरईवी)	300.00	0.00	0.08	299.92	99.97
7	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास)					
16.	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूर्क	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
17.	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 111-सर्व शिक्षा अभियान, 99-सर्व शिक्षा अभियान	550.00	0.00	318.90	231.10	42.02
18.	2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्राथमिक शिक्षा, 800-अन्य व्यय, 93-शिक्षा का अधिकार अधिनियम	212.00	0.00	80.05	131.95	62.24
19.	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 93-प्रारंभिक शिक्षा विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिलव्यय (पीएलओ) (ईडीपी-पीएलओ-आरईवी)	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00
20.	2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 109-सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	600.00	0.00	261.32	338.68	56.45
8	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
21.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 70-केन्द्रीय वित्त आयोग के प्रशासन के मानकों का उन्नयन	548.77	0.00	0.00	548.77	100.00
22.	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, 80-सामान्य, 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता, 97-एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैंसर से चिकित्सा उपचार	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	15-श्रमरोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
23.	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 02-रोजगार सेवा, 101-रोजगार सेवाएं, 92-रोजगार कार्यालय के लिए स्टाफ और शिक्षित युवाओं को रोजगारी भत्ता	786.35	0.00	334.73	451.62	57.43
10	16-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण					
24.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 92-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिलव्यय (पीएलओ) (डब्ल्यूएसबी-पीएलओ-आरईवी)	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00
25.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 283-आवास, 99-डॉ.बी.आर.अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना	100.00	100.00	71.83	128.17	64.09
26.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन, 96-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता	2121.20	284.20	2294.59	110.81	4.61
27.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 99-अनुसूचित जाति की विधवाओं के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	1150.00	0.00	1016.39	133.61	11.62
11	17-श्रवण एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
28.	2059-लोक निर्माण, 80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 87-पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) के लिए निष्पादन से जुड़ा परिलव्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-आरईवी)	120.00	0.00	0.00	120.00	100.00
29.	3054-सड़कें और पुल, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 98-ग्रामीण सड़कें	600.00	500.00	731.34	368.66	33.51
30.	3054-सड़कें और पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 99-जिला सड़कें	325.00	0.00	27.29	297.71	91.60
12	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
31.	2700-मुख्य सिंचाई-80-सामान्य, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 96-गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनर्स्थापना कर दिया गया है	455.00	0.00	166.85	288.15	63.33
32.	2705-नहरों/क्षेत्र विकास, 188-स्वायत्त निकायों को सहायता, 98-जलमार्गों का निर्माण/पुनर्वास/पुनर्निर्माण/विस्तार	250.00	200.00	248.62	201.38	44.75
33.	2705-नहरों/क्षेत्र विकास, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 94-सीएडीए द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल का कार्यान्वयन	509.60	0.00	181.40	328.20	64.40
34.	2801-विद्युत, 05-नारेषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 94-ग्रामीण/डीएचबीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता	6952.57	845.10	6885.56	912.11	11.70
35.	2851-ग्रामीण एवं तपु उद्योग, 101-औद्योगिक संपदा, 95-औद्योगिक अवसरचना का सृजन, उन्नयन और रखरखाव का नाम बदलकर नवीन उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसरचना का विकास कर दिया गया	150.00	0.00	28.33	121.67	81.11

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुसूक्त	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
36.	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग, 102-लघु उद्योग, 60-स्वच्छ ईंधन पर उद्योगों के संचालन में बेट सहायता	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00
37.	2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग, 102-लघु उद्योग, 65-नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत उद्योग विकास के लिए प्रोत्साहन	250.00	0.00	99.34	150.66	60.26
13	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (रूपलबी एवं अतिनिधमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	450.00	110.00	0.00	560.00	100.00
38.	2215-जन आपूर्ति एवं स्वच्छता, 01-जल आपूर्ति, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 89-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएचओ) (पीएचओ-पीएलओ-आरईवी)					
39.	2217-शहरी विकास, 03-छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 99-मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना	140.00	500.00	161.48	478.52	74.77
40.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता, 97-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान	320.00	0.00	165.22	154.78	48.37
41.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 86-नया शहरी नवीकरण मिशन (अमृत)	359.48	0.00	234.43	125.05	34.79
42.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 88-स्वच्छ भारत मिशन	400.00	0.00	14.16	385.84	96.46
43.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 92-नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान	10.00	189.22	59.68	139.54	70.04
44.	2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 93-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान	210.00	0.00	63.43	146.57	69.80
45.	2505-ग्रामीण रोजगार, 02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	359.00	0.00	152.46	206.54	57.53
46.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 96-विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी)	150.00	0.00	0.71	149.29	99.53
47.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 101-पंचायती राज, 89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,712.00	0.00	1,157.99	554.01	32.36
48.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 102-सामुदायिक विकास, 93-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना	122.00	0.00	0.00	122.00	100.00
49.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 198-ग्राम पंचायतों को सहायता, 96-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास	699.00	0.00	24.35	674.65	96.52
50.	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 87-राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	734.00	0.00	505.83	228.17	31.09
राजस्व (प्रभारित)						
1	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी					
51.	2049-व्याज भुगतान, 03-लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर व्याज, 104-राज्य भविष्य निधि पर व्याज, 99-राज्य भविष्य निधि पर व्याज	1,350.00	110.00	1,270.57	189.43	12.97
पूजीगत (दत्तमन)						
1	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान					
52.	4055-पुलिस पर पूजीगत परियोजना, 207-राज्य पुलिस, 95-पुलिस के लिए निष्पादन से जुड़ा परियोजना (पीएलओ-पीएलओ-सीएपी)	208.50	0.00	0.00	208.50	100.00
2	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी					
53.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परियोजना, 01-कार्यालय भवन, 051-निर्माण, 60-वित्त भवन का निर्माण	107.00	0.00	0.00	107.00	100.00
3	07-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम					
54.	6860-उपभोक्ता उद्योग के लिए ऋण, 04-चीनी, 101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण, 95-सहकारी चीनी मिलों में विद्युत सह-उत्पादन एवं इथेनॉल संयंत्र की स्थापना	300.00	0.00	0.00	300.00	100
55.	6860-उपभोक्ता उद्योग के लिए ऋण, 04-चीनी, 101-सहकारी चीनी मिलों को ऋण, 99-सभी सहकारी चीनी मिलों को ऋण	390.00	0.00	216.00	174.00	44.62

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुसूक्त	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
4	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/परिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
56.	4401-फल पालन पर पूंजीगत परित्यय, 113-कृषि इंजीनियरिंग, 95-केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर कृषि विकास से संबंधित अवसरचना एवं गतिविधियां	424.00	0.00	0.00	424.00	100.00
57.	4401-फल पालन पर पूंजीगत परित्यय, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 97-भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार (आईआईएचएम) गन्नौर, सोनीपत को इक्विटी पूंजी	0.01	400.00	0.00	400.01	100.00
5	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता					
58.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परित्यय, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 89-बाजरा की खरीद	474.60	0.00	0.00	474.60	100.00
59.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परित्यय, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 97-पूँजी पर ब्याज	600.00	0.00	315.92	284.08	47.35
60.	4408-खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परित्यय, 01-खाद्य, 101-खरीद और आपूर्ति, 99-अनाज आपूर्ति योजना	13742.81	0.00	12380.78	1362.03	9.91
6	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास					
61.	6202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण, 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, 97-कुलक्षेत्र विश्वविद्यालय को ऋण	216.00	186.00	300.00	102.00	25.37
7	14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए					
62.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परित्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना, 99-कर्मचारी राज्य बीमा के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (ईएसआई-पीएलओ-सीएपी)	131.00	0.00	0.00	131.00	100.00
63.	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परित्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 86-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (एमईआर-पीएलओ-कैप)	233.00	0.00	0.00	233.00	100.00
64.	6210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए ऋण, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 105-एलोपैथी, 97-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल को ऋण	108.00	0.00	0.00	108.00	100.00
8	15-श्रमरोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण					
65.	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परित्यय, 800-अन्य व्यय, 87-कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (आईटीवी-पीएलओ-सीएपी)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
9	17-भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन					
66.	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परित्यय, 80-सामान्य, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 98-पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (बीएआर-पीएलओ-सीएपी)	754.81	0.00	0.00	754.81	100.00
67.	5053-सिविल एविएशन पर पूंजीगत परित्यय, 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 052-मशीनरी और उपकरण, 99-स्वेयर पार्स, विमान और अन्य उपकरणों की खरीद	125.00	0.00	20.10	104.90	83.92
68.	5053-सिविल एविएशन पर पूंजीगत परित्यय, 60-अन्य वैमानिकी सेवाएं, 102-नैविगेशन एवं वायु मार्ग सेवाएं, 98-स्वर्ण जयंती एकीकृत विमानन हब, हिसार	500.00	172.44	390.00	282.44	42.00
69.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परित्यय, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 101-पुल, 84-हरियाणा राज्य में पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण, 99-राज्य योजना के अंतर्गत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	400.00	0.00	178.75	221.25	55.31
70.	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परित्यय, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 49-पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क, 99-अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	375.00	0.00	184.88	190.12	50.70
71.	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परित्यय, 050-भूमि और भवन, 76-परिवहन के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (टीआरए-पीएलओ-सीएपी)	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00
10	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/मएसएमई/आपूर्ति एवं निपटारा/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
72.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परित्यय, 07 सतलुज यमना लिंक परियोजना, 800-अन्य व्यय, 98-नहर का निर्माण (एसवाईएल)	101.00	0.00	0.08	100.92	99.92
73.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परित्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 98-सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परित्यय (पीएलओ) (आईआरआर-पीएलओ-सीएपी)	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00

क्र. सं.	अनुदान और योजना का नाम	बजट अनुमान	अनुपूरक	व्यय	बचत	बजट से अधिक बचत प्रतिशतता
74.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05-पारिषण और वितरण, 190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, 98-इंक्विटी कैपिटल एचपीजीसीएल	584.51	0.00	231.04	353.47	60.47
11	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूपलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
75.	4215-जल आपूर्ति एवं स्वतंत्रता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जल आपूर्ति, 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति, 99-एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज केन्द्रीय का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) कवरेज कर दिया गया	860.00	1,919.75	591.24	2,188.51	78.73
76.	4215-जल आपूर्ति एवं स्वतंत्रता पर पूंजीगत परिव्यय, 01-जलापूर्ति, 800-अन्य व्यय, 96-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (पीयूच-पीएलओ-सीपी)	350.00	0.00	0.00	350.00	100.00
77.	4215-जल आपूर्ति एवं स्वतंत्रता पर पूंजीगत परिव्यय, 02-सीवरेज एवं स्वच्छता, 101-शहरी स्वच्छता सेवाएं, 89-सीवरेज के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन	200.00	0.00	53.82	146.18	73.09
78.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएं, 001-निर्देशन एवं प्रशासन, 98-निर्देशक स्थानीय निकाय-निर्देशक शहरी स्थानीय निकाय (सीपी) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ)	800.00	0.00	0.00	800.00	100.00
79.	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 101-पंचायती राज, 97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	700.00	500.00	974.16	225.84	18.82
80.	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, 101-पंचायती राज, 99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	200.00	0.00	10.72	189.28	94.64
	पूँजीगत प्रभारित					
1	08-लोक ऋण					
81.	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण, 99-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	14,046.45	0.00	11,988.32	2,058.13	14.65

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3.5 (ii); पृष्ठ 94)

उन योजनाओं¹ का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान था और बचत कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
1	पंचायत चुनाव के संचालन के लिए मुख्यालय स्टाफ [पी-01-03-2015-51-101-99]	2021-22	34.15	12.13	22.02	64.00
		2022-23	38.59	12.96	25.63	66.00
		2023-24	33.07	10.20	22.87	70.00
2	हरियाणा के लिए आईटी योजना [पी-01-03-2852-07-202-91-51]	2021-22	50.00	18.88	31.12	62.00
		2022-23	50.00	14.28	35.72	71.00
		2023-24	300.00	75.00	225.00	75.00
3	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार [पी-01-06-2071-01-106-51]	2021-22	105.06	7.15	97.91	93.00
		2022-23	105.00	10.08	94.92	90.00
		2023-24	299.99	21.03	278.96	93.00
4	राज्य विधानमंडल के सदस्य [पी-01-06-2071-01-111-99-51]	2021-22	188.19	25.88	162.31	86.00
		2022-23	100.00	33.47	66.53	67.00
		2023-24	200.00	24.24	175.76	88.00
5	मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) [पी-01-06-2075-51-800-88-51]	2021-22	823.74	1.64	822.10	100.00
		2022-23	802.85	0.46	802.39	100.00
		2023-24	200.58	0.51	200.07	100.00
6	वित्त भवन का निर्माण [पी-01-06-4059-01-051-60-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	130.00	0.06	129.94	100.00
		2023-24	107.00	0.00	107.00	100.00
7	स्थगित बिक्री कर/वैट के बदले ब्याज मुक्त ऋण [पी-01-07-6851-51-102-90]	2021-22	40.00	19.29	20.71	52.00
		2022-23	40.00	3.63	36.37	91.00
		2023-24	40.00	3.33	36.67	94.00
8	मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों और राज्य विधायकों को एचबीए अग्रिम [पी-01-07-7610-51-201-98-51]	2021-22	15.00	3.60	11.40	76.00
		2022-23	10.00	2.28	7.72	77.00
		2023-24	10.00	2.03	7.97	80.00
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन [पी-02-10-2401-51-109-77-51]	2021-22	23.25	4.00	19.25	83.00
		2022-23	42.17	18.42	23.75	56.00
		2023-24	36.00	7.56	28.44	79.00
10	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना [पी-02-10-2402-51-101-95-51]	2021-22	14.00	0.60	13.40	96.00
		2022-23	10.00	5.00	5.00	50.00
		2023-24	10.00	4.13	5.87	59.00
11	खनन के बाद बहाली कार्य पर व्यय [पी-01-10-2853-02-102-99]	2021-22	103.35	22.12	81.23	79.00
		2022-23	123.70	5.91	117.79	95.00
		2023-24	97.67	0.18	97.49	100.00
12	कक्षा IX-XII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा [पी-01-12-2202-02-107-86-51]	2021-22	25.00	0.00	25.00	100.00
		2022-23	27.00	4.50	22.50	83.00
		2023-24	30.00	14.24	15.76	53.00
13	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-69]	2021-22	25.00	1.47	23.53	94.00
		2022-23	30.00	7.48	22.52	75.00
		2023-24	20.00	0.00	20.00	100.00
14	लिंग संवेदनशीलता [पी-01-12-2235-02-103-79]	2021-22	40.34	18.21	22.13	55.00
		2022-23	40.00	1.12	38.88	97.00
		2023-24	30.00	0.10	29.90	100.00

¹ वर्ष 2021-22 में अनुदानों के लिए 47 बजटीय मांगें थीं, जिन्हें हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20 बजटीय अनुदान मांगों में समेकित किया गया है।

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
15	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम [पी-02-12-2236-02-789-98-51]	2021-22	59.60	15.63	43.97	74.00
		2022-23	60.00	29.04	30.96	52.00
		2023-24	60.00	17.26	42.74	71.00
16	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण-राज्य का अंशदान [पी-01-12-4235-02-102-99-98]	2021-22	40.00	13.19	26.81	67.00
		2022-23	50.00	0.39	49.61	99.00
		2023-24	50.00	7.74	42.26	85.00
17	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-12-4235-02-789-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	1.59	8.41	84.00
18	अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना का नाम बदलकर अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-98-51]	2021-22	23.00	10.35	12.65	100.00
		2022-23	25.00	0.00	25.00	100.00
		2023-24	25.00	0.00	25.00	100.00
19	सोनीपत में साईंस सिटी की स्थापना का नाम बदलकर हरियाणा में राष्ट्रीय साईंस सिटी की स्थापना किया गया [पी-01-12-5425-51-600-99-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100.00
		2023-24	50.00	0.00	50.00	100.00
20	केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन [पी-03-13-2205-51-105-86-51]	2021-22	27.00	0.00	27.00	100.00
		2022-23	28.00	0.00	28.00	100.00
		2023-24	20.00	0.00	20.00	100.00
21	प्रशासन के मानकों का उन्नयन केन्द्रीय वित्त आयोग [पी-03-14-2210-01-110-70-51]	2021-22	142.00	0.00	142.00	100.00
		2022-23	525.57	156.40	369.17	70.00
		2023-24	548.77	0.00	548.77	100.00
22	नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/एमपीएचडब्ल्यू पुरुष की स्थापना [पी-01-14-2210-05-105-71-51]	2021-22	20.00	9.52	10.48	52.00
		2022-23	20.00	9.75	10.25	51.00
		2023-24	20.00	8.63	11.37	57.00
23	एबी-एचएचपीए (आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैंसर चिकित्सा उपचार [पी-01-14-2210-80-199-97-51]	2021-22	200.00	50.00	200.00	100.00
		2022-23	200.00	0.00	200.00	100.00
		2023-24	100.00	0.00	100.00	100.00
24	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों/अस्पतालों कुरुक्षेत्र के भवन का निर्माण [पी-01-14-4210-03-101-91-51]	2021-22	25.00	2.52	22.48	90.00
		2022-23	25.00	0.27	24.73	99.00
		2023-24	25.00	0.51	24.49	98.00
25	हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना [पी-01-15-2230-03-001-92-51]	2021-22	240.20	4.50	235.70	98.00
		2022-23	50.00	12.45	37.55	75.00
		2023-24	50.00	5.50	44.50	89.00
26	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) [पी-03-15-2230-03-003-61-51]	2021-22	15.00	3.16	11.84	79.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	30.00	0.00	30.00	100.00
27	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना [पी-03-15-2230-03-190-99-51]	2021-22	20.00	6.00	14.00	70.00
		2022-23	32.37	10.97	21.40	66.00
		2023-24	13.10	0.00	13.10	100.00
28	मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण [पी-01-15-4250-51-800-97]	2021-22	35.00	1.89	33.11	95.00
		2022-23	15.00	2.11	12.89	86.00
		2023-24	50.03	2.61	47.42	95.00
29	सुगम्य भारत अभियान (एसआईपीडीए) [पी-03-16-4235-02-101-92-51]	2021-22	18.00	0.00	18.00	100.00
		2022-23	18.00	0.00	18.00	100.00
		2023-24	18.00	0.00	18.00	100.00
30	वृद्धों एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए रेवाड़ी स्थित गृह (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है [पी-01-16-4235-02-104-99-51]	2021-22	10.00	3.52	6.48	65.00
		2022-23	25.00	0.00	25.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
31	भवन (सार्वजनिक पुस्तकालय) [पी-01-17-4202-04-105-99-51]	2021-22	41.00	17.61	23.39	57.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
32	न्याय प्रशासन [पी-02-17-4216-01-106-99-51]	2021-22	50.00	20.99	29.01	58.00
		2022-23	50.00	5.83	44.17	88.00
		2023-24	50.00	18.60	31.40	63.00

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
33	स्पेयर पार्ट्स, विमान और अन्य उपकरणों की खरीद [पी-01-17-5053-60-052-99-51]	2021-22	15.16	2.01	13.15	87.00
		2022-23	125.20	24.87	100.33	80.00
		2023-24	125.00	20.10	104.90	84.00
34	हवाई अड्डों का रखरखाव [पी-01-17-5053-60-102-99-51]	2021-22	50.00	13.58	36.42	73.00
		2022-23	110.00	41.08	68.92	63.00
		2023-24	45.00	20.42	24.58	55.00
35	नियामक शाखा के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण [पी-01-17-5055-51-050-77-51]	2021-22	20.01	6.01	14.00	70.00
		2022-23	20.01	0.00	20.01	100.00
		2023-24	20.00	0.56	19.44	97.00
36	पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित प्लॉट का भुगतान [पी-01-18-4220-60-101-97-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
37	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-2700-01-001-89-51]	2021-22	29.34	1.13	28.21	96.00
		2022-23	33.08	0.67	32.41	98.00
		2023-24	34.69	0.59	34.10	98.00
38	बहुउद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-01-001-91-51]	2021-22	114.85	5.15	109.70	96.00
		2022-23	119.55	5.31	114.24	96.00
		2023-24	147.54	3.85	143.69	97.00
39	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत विशेष राजस्व [पी-01-19-2700-02-001-89-51]	2021-22	51.16	1.45	49.71	97.00
		2022-23	51.84	1.45	50.39	97.00
		2023-24	55.36	1.05	54.31	98.00
40	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-02-001-91-51]	2021-22	457.60	16.58	441.02	96.00
		2022-23	489.00	14.10	474.90	97.00
		2023-24	537.75	11.04	526.71	98.00
41	पश्चिमी यमुना नहर परियोजना के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता (वाणिज्यिक) [पी-01-19-2700-02-001-92-51]	2021-22	27.35	0.70	26.65	97.00
		2022-23	27.55	0.63	26.92	98.00
		2023-24	30.98	0.57	30.41	98.00
42	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कार्यकारी अभियंता [पी-01-19-2700-18-001-91-51]	2021-22	68.62	15.27	53.35	78.00
		2022-23	68.62	14.53	54.09	79.00
		2023-24	73.25	28.02	45.23	62.00
43	गैर-वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) के अंतर्गत मुख्य अभियंता [पी-01-19-2700-80-001-93-51]	2021-22	98.41	14.31	84.10	85.00
		2022-23	96.36	9.79	86.57	90.00
		2023-24	86.64	14.42	72.22	83.00
44	गांव के तालाबों का विकास का नाम बदलकर तालाबों का विकास/पुनर्स्थापना कर दिया गया है [पी-01-19-2700-80-190-96-51]	2021-22	802.00	128.52	673.48	84.00
		2022-23	504.12	128.86	375.26	74.00
		2023-24	455.00	166.85	288.15	63.00
45	औद्योगिक अवसंरचना का सृजन, उन्नयन और रखरखाव, जिसे नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के अंतर्गत अवसंरचना विकास का नाम दिया गया है [पी-01-19-2851-51-101-95-51]	2021-22	50.00	16.97	33.03	66.00
		2022-23	150.00	24.03	125.97	84.00
		2023-24	150.00	28.33	121.67	81.00
46	बांध और संबद्ध कार्य [पी-01-19-4700-05-800-98-51]	2021-22	50.00	22.25	27.75	56.00
		2022-23	25.00	0.41	24.59	98.00
		2023-24	24.00	0.39	23.61	98.00
47	नहर का निर्माण (एसवाईएल) [पी-01-19-4700-07-800-98-51]	2021-22	100.00	4.72	95.28	95.00
		2022-23	100.00	0.07	99.93	100.00
		2023-24	101.00	0.08	100.92	100.00
48	नाबार्ड के अंतर्गत सिंचाई दक्षता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई [पी-01-19-4701-07-800-97-51]	2021-22	150.00	0.00	150.00	100.00
		2022-23	150.00	66.63	83.37	56.00
		2023-24	150.00	69.89	80.11	53.00
49	नहरों का निर्माण (मेवात) [पी-01-19-4701-22-800-98]	2021-22	100.00	0.87	99.13	99.00
		2022-23	100.00	0.93	99.07	99.00
		2023-24	50.00	0.80	49.20	98.00
50	इक्विटी कैपिटल एचपीजीसीएल [पी-01-19-4801-05-190-98-51]	2021-22	84.98	0.00	84.98	100.00
		2022-23	27.61	0.00	27.61	100.00
		2023-24	584.51	231.04	353.47	60.00

क्र. सं.	योजना	वर्ष	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
51	स्वच्छ भारत मिशन [पी-01-20-2217-80-192-88]	2021-22	364.86	199.50	165.36	45.00
		2022-23	300.00	33.82	266.18	89.00
		2023-24	400.00	14.16	385.84	96.00
52	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान [पी-01-20-2217-80-192-92-51]	2021-22	149.47	10.21	139.26	93.00
		2022-23	268.00	20.08	247.92	93.00
		2023-24	199.22	59.68	139.54	70.00
53	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बंजर भूमि घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं [पी-02-20-2501-05-101-99-51]	2021-22	30.00	5.60	24.40	81.00
		2022-23	24.00	6.04	17.96	75.00
		2023-24	16.80	8.24	8.56	51.00
54	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) [पी-02-20-2501-06-789-99-51]	2021-22	75.00	22.08	52.92	71.00
		2022-23	75.00	18.23	56.77	76.00
		2023-24	45.00	18.23	26.77	59.00
55	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना [पी-01-20-2505-01-702-88-99]	2021-22	50.00	1.00	49.00	98.00
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100.00
		2023-24	50.00	12.50	37.50	75.00
56	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना [पी-01-20-2505-01-789-99-51]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	2.50	7.50	75.00
57	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) [पी-02-20-2515-51-101-81-51]	2021-22	20.00	0.00	20.00	100.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	30.00	0.00	30.00	100.00
58	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना [पी-01-20-2515-51-102-90]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75.00
		2022-23	30.00	0.00	30.00	100.00
		2023-24	30.00	0.00	30.00	100.00
59	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-102-93]	2021-22	532.37	99.82	432.55	81.00
		2022-23	300.00	11.07	288.93	96.00
		2023-24	122.00	0.00	122.00	100.00
60	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-01-20-2515-51-102-96-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
61	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत [पी-01-20-2515-51-102-97-51]	2021-22	25.00	10.03	14.97	60.00
		2022-23	100.00	8.71	91.29	91.00
		2023-24	100.00	41.73	58.27	58.00
62	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (पीएमजेवीके) [पी-02-20-2515-51-106-96-51]	2021-22	50.00	9.52	40.48	81.00
		2022-23	30.00	12.69	17.31	58.00
		2023-24	60.00	0.00	60.00	100.00
63	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) [पी-03-20-2515-51-106-98-51]	2021-22	20.00	0.00	20.00	100.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
64	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना [पी-01-20-2515-51-789-91]	2021-22	20.00	5.00	15.00	75.00
		2022-23	20.00	0.00	20.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00
65	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना [पी-02-20-2515-51-789-98]	2021-22	50.00	14.81	35.19	70.00
		2022-23	50.00	0.00	50.00	100.00
		2023-24	45.00	0.00	45.00	100.00
66	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) [पी-02-20-2515-51-789-99]	2021-22	10.00	0.00	10.00	100.00
		2022-23	10.00	0.00	10.00	100.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	100.00

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 99)

वर्ष की अंतिम तिमाही/महीने में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत और उससे अधिक है

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2024 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	3-सामान्य प्रशासन/युनाव	2852-उद्योग	92.56	90.37	97.63	83.04	89.71
2	4-राजस्व/आबकारी एवं कराधान	2705-कमांड क्षेत्र विकास	15.68	10.8	68.88	4.59	29.27
3	5-नहर/जेल/होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजेंसी/ओटी/वैधिक सेवा प्राधिकरण)	4055-पुलिस पर पूंजीगत परियोजना	248.48	144.24	58.05	89.11	35.86
4	6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी	4216-आवास पर पूंजीगत परियोजना	26.91	20.43	75.92	5.18	19.25
5		2048-भूगर्भ में कमी या परिवार के लिए विनियोग	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00
6		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	157.24	91.00	57.87	0.00	0.00
7		4885-उद्योग एवं खनिज पर अन्य पूंजीगत परियोजना	105.00	105.00	100.00	0.00	0.00
8	10-कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	2853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	79.83	54.55	68.33	48.42	60.65
9		4401-फसल पालन पर पूंजीगत परियोजना	45.30	30.1	66.45	27.69	61.13
10		4403-पशुपालन पर पूंजीगत परियोजना	40.78	38.62	95.19	3.13	7.68
11	11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता	2425-सहकारिता	713.95	369.02	51.69	268.08	37.55
12		4425-सहकारिता पर पूंजीगत परियोजना	31.30	27.71	88.53	27.66	88.37
13	12-शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	16.53	15.75	95.28	15.58	94.25
14		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परियोजना	37.61	21.32	56.69	13.45	35.76
15	13-खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन	3452-पर्यटन	53.80	27.55	51.21	11.84	22.01
16		5452-पर्यटन पर पूंजीगत परियोजना	74.15	43.03	58.03	0.6	0.81
17	17-भवन एवं सड़क/परिवहन/नागरिक उड्डयन	2216-आवास	418.72	237.73	56.78	220.51	52.66
18	18-सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मूद्रण एवं स्टेशनरी	4220-सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परियोजना	60.49	45.00	74.39	30.00	49.59
19	19-सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2701-मध्यम सिंचाई	222.07	192.65	86.75	185.37	83.47
20		2705-कमांड क्षेत्र विकास	648.96	339.49	52.21	96.99	14.95
21		2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	808.22	510.4	63.15	301.17	37.26
22		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	770.45	387.51	50.3	260.08	33.76
23		4851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग पर पूंजीगत परियोजना	77.98	77.57	99.74	77.56	99.46
24	20-शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा/स्थानीय सरकार (ग्रामीण एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4711-ब्याह नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परियोजना	93.38	46.92	50.25	18.82	20.15
		कुल	5,139.39	3,226.76	62.78	2,088.87	40.64

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.3; पृष्ठ 100)

2023-24 के दौरान तिमाहीवार व्यय दर्शाने वाला विवरण

कुल बजट प्राप्ति (ओ+एस)	पहली तिमाही में व्यय	दूसरी तिमाही में व्यय	तीसरी तिमाही में व्यय	चौथी तिमाही में व्यय	मार्च 2024 में व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय के विस्तृत वार्षिक व्यय (तिमाहीवार/मार्च में) (प्रतिशत में)				
							पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	
(₹ करोड़ में)											
अनुदान संख्या-1-विधान सभा											
145.41	21.4	22.08	18.76	19.28	6.07	81.51	26	27	23	24	7
अनुदान संख्या-2 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद											
210.23	22.5	61.00	42.08	67.69	34.74	193.25	12	32	22	35	18
अनुदान संख्या-3 सामान्य प्रशासन/युनाव											
1,392.08	153.88	166.04	170.61	275.57	150.83	766.08	20	22	22	36	20
अनुदान संख्या-4 राजस्व/आबकारी एवं कराधान											
4,078.81	492.33	619.90	444.45	607.42	166.94	2,164.06	23	29	21	28	8
अनुदान संख्या-5 गृह/जेल/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)											
8,659.84	2,123.39	2,013.17	1,460.83	2,294.42	1,010.78	7,891.79	27	26	19	29	13
अनुदान संख्या-6-वित्त/योजना एवं सांख्यिकी											
37,657.91	4,547.95	13,376.24	5,932.07	12,097.37	4,792.38	35,953.65	13	37	16	34	13
अनुदान संख्या-10 कृषि/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्यपालन/खान एवं भू-विज्ञान/वन एवं वन्य जीवन/पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण											
7,246.55	913.08	702.93	808.43	965.7	441.04	3,390.12	27	21	24	28	13
अनुदान संख्या-12 शिक्षा (उच्च/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास											
22,254.79	4,362.70	4,701.05	4,177.55	5,149.84	2,074.58	18,391.16	24	26	23	28	11
अनुदान संख्या-13. खेल एवं युवा कल्याण/कला एवं संस्कृति/पर्यटन											
820.36	62.55	95.16	179.67	217.5	36.16	554.89	11	17	32	39	7
अनुदान संख्या-14 स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए											
8,558.89	1,440.19	1,957.97	1,798.39	2,044.25	693.02	7,240.78	20	27	25	28	10
अनुदान संख्या-15 श्रम/रोजगार/कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण											
1,892.54	229.94	214.39	219.69	218.97	69.32	883.01	26	24	25	25	8
अनुदान संख्या-16 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/पूर्व सैनिकों का कल्याण											
11,959.48	2,548.03	2,647.43	2,719.95	3,013.78	1109.9	10,928.88	23	24	25	28	10
अनुदान संख्या-17 भवन एवं सड़कें/परिवहन/नागरिक उड्डयन											
11,602.70	1,785.14	2,025.16	2,280.23	2,069.6	609.64	8,160.15	22	25	28	25	7
अनुदान संख्या-18 सूचना एवं प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण एवं स्टेशनरी											
665.84	67.68	156.23	103.76	98.31	-12.87	425.99	16	37	24	23	-3
अनुदान संख्या-19 सिंचाई/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/आपूर्ति एवं निपटान/विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी											
17,397.71	2,731.69	2,980.15	3,362.67	4,952.79	2,427.86	14,027.25	19	21	24	35	17
अनुदान संख्या-20 शहरी विकास (नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा)/स्थानीय सरकार (यूएलबी एवं अग्निशमन सेवाएं)/ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास एवं पंचायत)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग											
21,535.03	2,180.28	3,627.14	3,060.38	4,580	2,066.48	13,447.78	16	27	23	34	15

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1 (iii); पृष्ठ 103)

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम (वर्गीकरण)	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
खान एवं भूविज्ञान विभाग					
1	खनिज अन्वेषण और खनिज रियायत के लिए राज्य में खानों और खनिजों का विकास (2853-02-001-98)	2021-22	11.52	8.06	3.46 (30.03)
		2022-23	12.70	10.18	2.52 (19.84)
		2023-24	16.20	8.76	7.44 (45.93)
2	स्थापना व्यय (2853-02-001-99-98)	2021-22	21.59	12.44	9.15 (42.38)
		2022-23	22.59	14.86	7.73 (34.22)
		2023-24	29.39	13.85	15.54 (52.88)
3	खनन के बाद बहाली कार्य पर व्यय (2853-02-102-99)	2021-22	103.35	22.12	81.23 (78.60)
		2022-23	123.70	5.91	117.79 (95.22)
		2023-24	97.67	0.18	97.49 (99.82)
पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग					
1	पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय की स्थापना का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय एवं जिला स्टाफ की स्थापना कर दिया गया है (2403-51-001-99)	2021-22	32.28	26.57	5.71 (17.69)
		2022-23	34.80	28.72	6.08 (17.47)
		2023-24	39.56	26.07	13.49 (34.10)
2	कूरता निवारण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना (2403-51-101-61)	2021-22	4.32	2.98	1.34 (31.02)
		2022-23	4.32	1.04	3.28 (75.93)
		2023-24	5.00	1.20	3.80 (76)
3	पशु चिकित्सा संस्थानों को खोलना, उन्नयन और सुदृढीकरण (2403-51-101-62)	2021-22	92.00	81.17	10.83 (11.77)
		2022-23	115.85	93.85	22.00 (18.99)
		2023-24	129.95	85.87	44.08 (33.92)
4	पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण का नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के अंतर्गत पशुओं के टीकाकरण के लिए अनुदान कर दिया गया (2403-51-101-63)	2021-22	5.28	4.23	1.05 (19.89)
		2022-23	5.00	0.00	5.00 (100)
		2023-24	6.00	1.80	4.20 (70)
5	हरियाणा पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान की स्थापना की योजना (2403-51-101-88)	2021-22	593.68	474.68	119.00 (20.04)
		2022-23	578.00	515.15	62.85 (10.87)
		2023-24	631.35	522.79	108.56 (17.19)
6	देशी मवेशियों के संरक्षण एवं विकास तथा मुराह विकास योजना (2403-51-102-66)	2021-22	7.00	5.21	1.79 (25.57)
		2022-23	7.00	4.21	2.79 (39.86)
		2023-24	7.00	4.90	2.10 (30)
7	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना (2403-51-102-67)	2021-22	20.00	0.00	20.00 (100)
		2022-23	4.00	0.00	4.00 (100)
		2023-24	16.00	6.80	9.20 (57.50)
8	गौ सेवा आयोग की स्थापना की योजना (2403-51-102-69)	2021-22	30.00	8.35	21.65 (72.17)
		2022-23	10.00	6.80	3.20 (32)
		2023-24	425.00	0.97	424.03 (99.77)
9	सरकारी पशुधन फार्म की स्थापना (2403-51-102-99)	2021-22	36.85	29.83	7.02 (19.05)
		2022-23	36.77	30.01	6.76 (18.38)
		2023-24	41.59	27.89	13.70 (32.94)
10	भेड़ बकरी प्रजनन फार्म एवं ऊन ग्रेडिंग केंद्र की स्थापना (2403-51-104-94)	2021-22	8.31	5.40	2.91 (35.02)
		2022-23	7.45	4.76	2.69 (36.11)
		2023-24	7.04	4.87	2.17 (30.82)
11	हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधन की योजना (2403-51-113-97)	2021-22	3.10	1.44	1.66 (53.55)
		2022-23	2.73	1.65	1.08 (39.56)
		2023-24	2.82	1.80	1.02 (36.17)
12	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन की योजना (2403-51-789-89)	2021-22	4.00	0.00	4.00 (100)
		2022-23	1.00	0.00	1.00 (100)
		2023-24	4.00	0.00	4.00 (100)
13	अनुसूचित जाति के लिए पशुधन इकाइयां स्थापित करके अनुसूचित जाति को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना (2403-51-789-94)	2021-22	18.00	15.06	2.94 (16.33)
		2022-23	70.00	49.26	20.74 (29.63)
		2023-24	35.00	29.83	5.17 (14.77)
14	नाबार्ड सहायता (4403-51-101-99-98)	2021-22	20.00	0.00	20.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	10.00 (100)
		2023-24	10.00	2.00	8.00 (80)
15	राज्य सहायता (4403-51-101-99-99)	2021-22	18.00	11.32	6.68 (37.11)
		2022-23	150.00	7.92	142.08 (94.72)
		2023-24	100.00	38.78	61.22 (61.22)

परिशिष्ट 3.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (ii); पृष्ठ 107)

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2023-24 में
बचत (₹ 10 करोड़ एवं 30 प्रतिशत) का योजनावार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
शहरी स्थानीय निकाय विभाग				
1.	मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना (2217-03-191-99)	640.00	161.48	-478.52 (75)
2.	नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं (2217-80-191-95)	105.00	42.74	-62.26 (59)
3.	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान (2217-80-191-97)	320.00	165.22	-154.78 (48)
4.	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी अवसंरचना के विकास की योजना (2217-80-192-83)	572.00	312.13	-259.87 (45)
5.	नया शहरी नवीकरण मिशन (अमृत) (2217-80-192-86)	359.48	234.43	-125.05 (35)
6.	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88)	400.00	14.16	-385.84 (96)
7.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-80-192-89)	37.50	0.00	-37.50 (100)
8.	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान (2217-80-192-92)	199.22	59.68	-139.54 (70)
9.	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता अनुदान (2217-80-192-93)	210.00	63.43	-146.57 (70)
10.	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2217-80-789-90)	12.50	0.00	-12.50 (100)
11.	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान (2217-80-789-94)	30.00	11.67	-18.33 (61)
	कुल राजस्व (दत्तमत)	2,885.70	1,064.94	-1,820.76 (63)
12.	अग्निशमन सेवा निदेशालय हरियाणा (पंचकुला) के लिए भूमि की खरीद और निर्माण कार्य (4059-01-051-64)	30.00	0.00	-30.00 (100)
13.	निदेशक स्थानीय निकाय-निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (सीएपी) का निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (4217-60-001-98)	800.00	0.00	-800.00 (100)
	कुल पूंजीगत (दत्तमत)	830.00	0.00	-830.00 (100)
		3,715.70	1,064.94	-2,650.76 (71)
ग्रामीण विकास विभाग				
क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बंजर भूमि घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं (2501-05-190-99)	16.00	4.00	-12.00 (75)
2.	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी) (2501-06-101-96)	10.00	0.00	-10.00 (100)
3.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-101-97)	25.00	0.00	-25.00 (100)
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-101-99-99)	105.00	61.41	-43.59 (42)
5.	एससीएसपी के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (एनआरएलएम) (परियोजना, प्रशासन) (2501-06-789-98)	10.00	0.00	-10.00 (100)
6.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-789-99)	45.00	18.23	-26.77 (59)
7.	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (2505-01-702-88-89)	50.00	12.50	-37.50 (75)
8.	प्रशासनिक आकस्मिकता योजना (मनरेगा) -सामान्य(2505-02-101-98)	35.00	4.60	-30.40 (87)
9.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (2505-02-101-99)	359.00	152.46	-206.54 (58)
10.	विकास और पंचायत के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-आरईवी) (2515-51-001-96)	150.00	0.71	-149.29 (99)
11.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-51-101-81)	30.00	0.00	-30.00 (100)

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
12.	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-51-101-89)	1,712.00	1,157.99	-554.01 (32)
13.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना (2515-51-102-90)	30.00	0.00	-30.00 (100)
14.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-102-93-99)	122.00	0.00	-122.00 (100)
15.	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (2515-51-102-94)	100.00	70.00	-30.00 (30)
16.	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-102-96-99)	10.00	0.00	-10.00 (100)
17.	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत (2515-51-102-97)	100.00	41.73	-58.27 (58)
18.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2515-51-106-96)	60.00	0.00	-60.00 (100)
19.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (2515-51-106-97)	50.00	0.00	-50.00 (100)
20.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (2515-51-106-98)	10.00	0.00	-10.00 (100)
21.	राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास (2515-51-198-96)	699.00	24.35	-674.65 (97)
22.	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता (2515-51-789-87)	734.00	505.83	-228.17 (31)
23.	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (2515-51-789-88)	30.00	9.86	-20.14 (67)
24.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना (2515-51-789-91)	10.00	0.00	-10.00 (100)
25.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-789-98)	45.00	0.00	-45.00 (100)
26.	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-789-99)	10.00	0.00	-10.00 (100)
	कुल राजस्व (दत्तमत)	4,557.00	2,063.67	-2,493.33 (55)
27.	विकास एवं पंचायत विभाग के लिए निष्पादन से जुड़ा परिव्यय (पीएलओ) (डीईवी-पीएलओ-सीएपी) (4515-51-101-98)	94.00	0.00	-94.00 (100)
28.	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	200.00	10.72	-189.28 (95)
	कुल पूंजीगत (दत्तमत)	294.00	10.72	-283.28 (96)
	कुल योग	4,851.00	2,074.39	-2,776.61 (57)

परिशिष्ट 3.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (iv); पृष्ठ 108)

31 मार्च 2024 को बैंक बैलेंस दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता नंबर	योजना का नाम	31 मार्च 2024 को बैंक बैलेंस
निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग				
1	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सेक्टर 16, पंचकुला	2084104000023010	2515-51-106-96-51-एन-वी-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	60.00
2	पीएनबी बैंक सेक्टर 9, चंडीगढ़	4431000100010460	2505-02-101-99-99-एन-वी-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) -सामान्य योजना	0.68
3	पीएनबी बैंक मनीमाजरा, चंडीगढ़	1183000101140570	2505-01-702-88-99-एन-वी-स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (एसजेकेयूवाई)	14.32
4	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड सेक्टर 43 बी चंडीगढ़	50100526078186	2515-51-102-94-51-एन-वी-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	722.97
5	पीएनबी बैंक मनीमाजरा, चंडीगढ़	1183000101140580	2515-51-106-99-51-एन-वी-विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना (वीएनजीवाई)	216.18
6	केनरा बैंक, सेक्टर 10, पंचकुला	1624101015733	2501-06-800-97-51-एन-वी-डीआरडीए प्रशासन	24.03
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सेक्टर 11 चंडीगढ़	50100072478831	2501-06-101-99-99-एन-वी-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) - सामान्य योजना	48.95
8	इंडसइंड बैंक, सेक्टर 28 ए, चंडीगढ़	151500160028	2515-51-102-93-99-एन-वी-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना - सामान्य योजना	25.12
9	पीएनबी बैंक, सेक्टर 09 चंडीगढ़	44311000100010200	2501-05-101-99-51-एन-वी-एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना (60:40)	1.97
निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग				
10	इंडसइंड बैंक, सेक्टर 28 A चंडीगढ़	100204908253	2515-51-101-89-51-एन-वी- पीआरआई को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्तीय सहायता	554.61
11	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 40 चंडीगढ़	50470111000001	2505-02-101-99-97-एन-वी- पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय सहित खण्ड कार्यालय भवनों का नया निर्माण/नवीकरण/मरम्मत	26.20
			कुल	1,695.03

परिशिष्ट 3.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (iv); पृष्ठ 108)

नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित राशि का विवरण

क्र. सं.	डीडीओ का नाम	योजना का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता	31 मार्च 2024 को अव्ययित राशि (₹ में)
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, भिवानी	विधायक आदर्श नगर ग्रामीण योजना	एचडीएफसी	50100671436280	21,58,829
		स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	आईडीबीआई	354102000007955	10,81,581
		15वां वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग	आईसीआईसीआई	360001000308	1,05,99,800
2	कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति (ईओपीएस), भिवानी	15वां वित्त आयोग	एचडीएफसी	50100674898379	7,23,36,821
		राज्य वित्त आयोग	पीएनबी	53000109444846	35,35,634
			एचडीएफसी	5010319554310	26,00,548
3	ईओपीएस, तोशाम	15वां वित्त आयोग	एचडीएफसी	50100284084629	2,63,16,403
			पीएनबी	1053000100051450	3,79,640
4	सीईओ, जिला परिषद महेन्द्रगढ़		एचडीएफसी	50100668024245	11,28,43,649
5	ईओपीएस, नारनौल		एचडीएफसी	50100667870864	40,08,526
			पीएनबी	3335000101002410	1,52,05,665
6	ग्राम पंचायत, कुतबापुर, नारनौल		आईडीबीआई	1679104000029660	2,92,925
7	ग्राम पंचायत-कान्ही, नारनौल		आईडीबीआई	1679104000029090	19,38,310
8	ईओपीएस, नांगल चौधरी		पीएनबी	883000109340002	1,83,59,218
9	ग्राम पंचायत-नांगल नूनिया		पीएनबी	883000109167764	12,99,169
10	ग्राम पंचायत-खातोली जाट		पीएनबी	883000109168073	2,21,397
11	ईओपीएस, धारुहेड़ा		पीएनबी	188510010001876	1,60,18,653
12	ग्राम पंचायत-घातल महनियावास		पीएनबी	3333000101019720	29,05,253
13	ग्राम पंचायत-नंदरामपुर बास		पीएनबी	1665000101037080	24,74,851
14	ईओपीएस-बावल		पीएनबी	405000105466122	2,44,08,006
			एचडीएफसी	50100674088965	51,35,197
15	ग्राम पंचायत-बानीपुर		पीएनबी	4915000100011780	25,95,637
16	ग्राम पंचायत-धरान		पीएनबी	4915000100011880	14,67,405
कुल					32,81,89,605

परिशिष्ट 3.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (iv); पृष्ठ 109)

नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित शेष राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	योजना का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता	31 मार्च 2024 को अव्ययित शेष (₹ में)
1	निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय	स्वच्छ भारत मिशन	आईडीबीआई बैंक	132088432400	294.16
	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	आईसीआईसीआई बैंक	1301048976	14.75
कुल (क)					308.91
2	नगर निगम, फरीदाबाद	केंद्रीय वित्त आयोग	एक्सिस बैंक	920010074152070	96.78
	स्मार्ट सिटी, फरीदाबाद		केनरा बैंक	27481011009161	156.79
3	नगरपालिका, समालखा		एक्सिस बैंक	919010095190033	2.91
4	नगर निगम, पंचकुला		एक्सिस बैंक	921010044746110	4.10
		दिव्य नगर योजना	आईडीबीआई बैंक	16104000159555	4.45
5	नगरपालिका, कुंडली	6वां राज्य वित्त आयोग	एक्सिस बैंक	920010029056215	13.38
			एक्सिस बैंक	922010006864042	2.19
6	नगर परिषद, थानेसर	केंद्रीय वित्त आयोग	एक्सिस बैंक	921010046536629	0.44
7	नगर परिषद, टोहाना		एक्सिस बैंक	912010038481249/919010064142928	2.99
		स्वच्छ भारत मिशन	आईडीबीसी/कोटक महिंद्रा बैंक	10140838946/7512049349	1.52
कुल (ख)					285.55
कुल योग (क+ख)					594.46

परिशिष्ट 3.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.2 (vii); पृष्ठ 110)

अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम (वर्गीकरण)	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
शहरी स्थानीय निकाय विभाग					
1.	राज्य में जिला नगर आयुक्तों की नई स्थापना (2217-80-001-89)	2021-22	16.15	1.22	-14.93 (92)
		2022-23	18.84	3.36	-15.48 (82)
		2023-24	6.26	1.87	-4.39 (70)
2.	नगर निगम में सीवेज जल आपूर्ति और जल निकासी की सेवाएं (2217-80-191-95)	2021-22	125.00	43.98	-81.02 (64)
		2022-23	100.00	58.84	-41.16 (41)
		2023-24	105.00	42.74	-62.26 (59)
3.	केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निगमों को सहायता अनुदान (2217-80-191-97)	2021-22	423.04	208.87	-214.17 (50)
		2022-23	286.20	213.51	-72.69 (25)
		2023-24	320.00	165.22	-154.78 (48)
4.	पीएम-स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर (पीएमएसवीए निधि) (2217-80-192-85)	2021-22	1.50	0.00	-1.50 (100)
		2022-23	2.00	0.31	-1.69 (84)
		2023-24	2.00	0.50	-1.50 (75)
5.	स्वच्छ भारत मिशन (2217-80-192-88)	2021-22	364.86	199.50	-165.36 (45)
		2022-23	300.00	33.82	-266.18 (88)
		2023-24	400.00	14.16	-385.84 (96)
6.	नगरपालिकाओं/परिषदों को स्टाम्प शुल्क की आय से स्थानीय निकायों को अंशदान (2217-80-192-92)	2021-22	149.47	10.21	-139.26 (93)
		2022-23	268.00	20.08	-247.92 (93)
		2023-24	199.22	59.68	-139.54 (70)
7.	दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान (2217-80-789-94)	2021-22	35.00	1.76	-33.24 (95)
		2022-23	30.00	19.32	-10.68 (36)
		2023-24	30.00	11.67	-18.33 (61)
8.	दूध डेयरियों का स्थानांतरण (2217-80-800-76)	2021-22	1.00	0.00	-1.00 (100)
		2022-23	1.00	0.00	-1.00 (100)
		2023-24	1.00	0.00	-1.00 (100)
ग्रामीण विकास विभाग					
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बंजर भूमि घटक के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत बैच VI परियोजनाएं (2501-05-190-99)	2021-22	30.00	5.60	-24.40 (81)
		2022-23	24.00	6.04	-17.96 (75)
		2023-24	16.80	8.24	-8.56 (51)
2.	एकीकृत बंजर भूमि विकास प्रबंधन परियोजना (2501-05-789-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	8.00	4.03	-3.97 (50)
		2023-24	7.20	2.06	-5.14 (71)
3.	दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम के अंतर्गत प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूहों को सहायता देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान करने की योजना (2501-06-102-99)	2021-22	5.00	3.35	-1.65 (33)
		2022-23	5.00	3.50	-1.50 (30)
		2023-24	5.00	1.25	-3.75 (75)
4.	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका) (2501-06-789-99)	2021-22	75.00	22.08	-52.92 (71)
		2022-23	75.00	18.23	-56.77 (76)
		2023-24	45.00	18.23	-26.77 (59)
5.	ग्रामीण विकास स्थापना व्यय फील्ड स्टाफ के लिए योजना (2501-06-800-98)	2021-22	2.50	0.60	-1.90 (76)
		2022-23	2.50	0.55	-1.95 (78)
		2023-24	1.45	0.26	-1.19 (82)
6.	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (2505-01-702-88)	2021-22	50.00	1.00	-49.00 (98)
		2022-23	50.00	0.00	-50.00 (100)
		2023-24	50.00	12.50	-37.50 (75)
7.	स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना (एससीएसपी) (2505-01-789-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2023-24	10.00	2.50	-7.50 (75)
8.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (2505-02-101-99)	2021-22	300.00	255.74	-44.26 (15)
		2022-23	450.00	178.16	-271.84 (60)
		2023-24	359.00	152.46	-206.54 (58)

क्र. सं.	योजना का नाम (वर्गीकरण)	वर्ष	बजट	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
9.	स्थापना व्यय (मुख्यालय स्टाफ) (2515-51-001-98-98)	2021-22	8.63	6.55	-2.08 (24)
		2022-23	8.77	6.83	-1.94 (22)
		2023-24	9.42	6.87	-2.55 (27)
10.	स्थापना व्यय, मुख्यालय स्टाफ और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, नीलोखेड़ी (2515-51-001-99-98)	2021-22	23.56	9.86	-13.70 (58)
		2022-23	20.02	11.67	-8.35 (42)
		2023-24	21.24	12.09	-9.15 (43)
11.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2515-51-101-81)	2021-22	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2022-23	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2023-24	30.00	0.00	-30.00 (100)
12.	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-51-101-89)	2021-22	1,375.00	0.00	-1,375.00 (100)
		2022-23	480.00	370.00	-110.00 (23)
		2023-24	1,712.00	1,157.99	-554.01 (32)
13.	ग्रामीण विकास के लिए गांव के युवा स्वयंसेवकों में जागरूकता (2515-51-102-83)	2021-22	3.50	1.00	-2.50 (71)
		2022-23	3.50	0.37	-3.13 (89)
		2023-24	3.50	0.13	-3.37 (96)
14.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता योजना (2515-51-102-90)	2021-22	20.00	5.00	-15.00 (75)
		2022-23	30.00	0.00	-30.00 (100)
		2023-24	30.00	0.00	-30.00 (100)
15.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-102-93-99)	2021-22	532.37	99.82	-432.55 (81)
		2022-23	300.00	11.07	-288.93 (96)
		2023-24	122.00	0.00	-122.00 (100)
16.	स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-102-96-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
17.	पंचायतों/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लॉक कार्यालय भवनों का नव निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत (2515-51-102-97)	2021-22	25.00	10.03	-14.97 (60)
		2022-23	100.00	8.71	-91.29 (91)
		2023-24	100.00	41.73	-58.27 (58)
18.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास योजना (2515-51-106-96)	2021-22	50.00	9.52	-40.48 (81)
		2022-23	30.00	12.69	-17.31 (58)
		2023-24	60.00	0.00	-60.00 (100)
19.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (2515-51-106-98)	2021-22	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2022-23	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
20.	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को मानदेय और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन भुगतान की योजना (2515-51-196-99)	2021-22	467.76	153.03	-314.73 (67)
		2022-23	302.92	56.83	-246.09 (81)
		2023-24	30.61	25.19	-5.42 (18)
21.	राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता (2515-51-789-87)	2021-22	340.00	0.00	-340.00 (100)
		2022-23	120.00	100.00	-20.00 (17)
		2023-24	734.00	505.83	-228.17 (31)
22.	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना (2515-51-789-88)	2021-22	30.00	24.54	-5.46 (18)
		2022-23	30.00	10.26	-19.74 (66)
		2023-24	30.00	9.86	-20.14 (67)
23.	हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता की योजना (2515-51-789-91)	2021-22	20.00	5.00	-15.00 (75)
		2022-23	20.00	0.00	-20.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
24.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता योजना (2515-51-789-98)	2021-22	50.00	14.81	-35.19 (70)
		2022-23	50.00	0.00	-50.00 (100)
		2023-24	45.00	0.00	-45.00 (100)
25.	अनुसूचित जाति के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) (2515-51-789-99)	2021-22	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2022-23	10.00	0.00	-10.00 (100)
		2023-24	10.00	0.00	-10.00 (100)
26.	दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	2021-22	150.00	100.00	-50.00 (33)
		2022-23	200.00	34.71	-165.29 (83)
		2023-24	200.00	10.72	-189.28 (95)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.3; पृष्ठ 114)

राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्राधिकरण	363.31
2	दिव्यांगों के लिए योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम और नवज्योति ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	13.46
3	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	29.55
4	राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना	हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	4.22
5	स्वदेशी यूरिया का भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3,047.02
6	आयातित पी और के उर्वरकों के लिए भुगतान	मासैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,519.25
7	रोड विंग के अंतर्गत वर्क्स	मेसर्स एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन और अन्य	207.40
8	सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह) शक्ति निवास पालना पीएमएमवीवाई नेशनल हब फॉर वूमेन एम्पावरमेंट जेंडर बजट रिसर्च स्किलिंग मीडिया आदि।	महिला एवं बाल विकास विभाग	0.05
9	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	1,045.39
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय, हरियाणा चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और अन्य	2.07
11	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण केंद्रीय क्षेत्र	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	11.16
12	अटल भूजल योजना	एसपीएमयू, आई एंड डब्ल्यूआर विभाग हरियाणा	489.62
13	जल जीवन मिशन (जेजेएम) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	प्रमुख अभियंता, हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	526.72
14	जूते, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	सिद्ध लामीफैब प्राइवेट लिमिटेड, एच.एस. पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड, एपी इंडस्ट्रीज और अन्य	75.64
15	स्मार्ट ग्रिड	राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	6.08
16	सड़क कार्य - ईएपी घटक	एटलस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एटकॉन इंडिया लिमिटेड (जेवी) और एटकॉन इंडिया लिमिटेड - एटलस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)।	92.09
17	अनुसंधान एवं विकास (सपोर्ट कार्यक्रम)	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	1.96
18	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	आयुष्मान भारत हरियाणा एवं हरियाणा संरक्षण प्राधिकरण	95.17
19	सुधार से जुड़ी वितरण योजना, पावर	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7,580.30
20	कृषि उन्नति योजना	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड और अन्य	228.76
21	एक हजार लाख रुपए से कम रिलीज वाली अन्य योजनाएं		34.38
Total			15,373.59

स्रोत: वित्त लेख - परिशिष्ट VI

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 116)

31 मार्च 2024 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल (2011)	2021-22	1	0.16	1	0.16	1	0.16	0	0.00
2	न्याय प्रशासन (2014)	2020-21	4	0.02	4	0.02	4	0.02	0	0.00
		2021-22	11	0.09	11	0.09	11	0.09	0	0.00
		2022-23	22	21.70	22	21.70	0	0.00	22	21.70
3	पुलिस (2055)	2020-21	2	115.41	1	76.61	1	76.61	0	0.00
		2021-22	3	168.00	3	168.00	3	168.00	0	0.00
		2022-23	4	180.79	4	180.79	0	0.00	4	180.79
4	अन्य प्रशासनिक सेवाएं (2070)	2019-20	5	22.75	5	22.75	5	22.75	0	0.00
		2020-21	2	21.35	2	21.35	2	21.35	0	0.00
5	विविध सामान्य सेवाएं (2075)	2018-19	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	सामान्य शिक्षा (2202)	2014-15	739	1382.54	6	0.99	6	0.99	0	0.00
		2015-16	1,063	1542.62	11	0.71	11	0.71	0	0.00
		2016-17	1,332	1618.88	7	0.37	7	0.37	0	0.00
		2017-18	1,385	1656.36	1	4.00	0	0.00	1	4.00
		2018-19	866	1560.24	2	136.41	2	136.41	0	0.00
		2019-20	47	545.79	21	247.84	4	102.96	17	144.88
		2020-21	142	1468.19	116	1019.39	112	921.36	4	98.03
		2021-22	178	1454.40	178	1454.40	129	880.69	49	573.71
7	तकनीकी शिक्षा (2203)	2022-23	258	2942.06	258	2942.06	236	2207.27	22	734.79
		2016-17	102	227.06	1	10.00	1	10.00	0	0.00
		2017-18	90	218.18	3	12.65	3	12.65	0	0.00
8	खेल एवं युवा सेवाएं (2204)	2021-22	39	119.25	39	119.25	39	119.25	0	0.00
		2015-16	130	124.02	4	0.32	2	0.23	2	0.09
		2016-17	56	90.69	14	6.61	8	0.37	6	6.24
		2017-18	229	73.14	6	2.05	2	0.64	4	1.41
		2020-21	50	2.70	50	2.71	43	0.18	7	2.53
		2021-22	37	73.46	37	73.46	30	71.69	7	1.77
		2022-23	12	1.70	12	1.70	4	0.17	8	1.53
9	कला एवं संस्कृति (2205)	2015-16	7	3.51	1	0.30	0	0.00	1	0.30
		2019-20	1	2.00	1	2.00	1	2.00	0	0.00
		2020-21	1	0.30	1	0.30	0	0.00	1	0.30
		2022-23	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
10	मेडिकल (2210)	2019-20	54	796.03	3	38.48	3	38.48	0	0.00
		2020-21	47	814.12	21	169.44	17	133.37	4	36.07
		2021-22	41	1195.39	41	1195.39	4	12.96	37	1182.43
		2022-23	30	1255.49	30	1255.48	2	3.86	28	1251.62
11	परिवार कल्याण (2211)	2020-21	3	0.18	1	0.03	0	0.00	1	0.03
		2021-22	1	0.03	1	0.03	1	0.03	0	0.00
12	आवास (2216)	2021-22	5	156.89	5	156.89	0	0.00	5	156.89
		2022-23	10	100.36	10	100.36	0	0.00	10	100.36
13	शहरी विकास (2217)	2012-13	96	1274.01	12	159.87	3	6.15	9	153.72
		2013-14	73	1120.80	9	193.91	0	0.00	9	193.91
		2014-15	87	1115.43	3	18.18	0	0.00	3	18.18
		2015-16	122	1478.70	28	145.97	3	20.95	25	125.02
		2016-17	219	2227.25	29	156.86	3	4.49	26	152.37
		2017-18	395	2781.01	67	333.88	10	17.47	57	316.41
		2018-19	105	1841.76	34	761.28	4	16.67	30	744.61
		2019-20	52	1750.54	31	203.99	1	96.42	30	107.57
		2020-21	42	1652.99	25	456.64	5	296.05	20	160.59
		2021-22	76	2288.38	76	2288.38	28	422.63	48	1865.75
		2022-23	61	1481.94	61	1481.94	0	0.00	61	1481.94

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
14	श्रम एवं रोजगार (2230)	2020-21	7	66.35	2	1.85	0	0.00	2	1.85
		2021-22	6	96.66	6	96.66	3	92.50	3	4.16
		2022-23	4	19.47	4	19.47	0	0.00	4	19.47
15	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235)	2014-15	33	43.71	2	11.53	0	0.00	2	11.53
		2015-16	355	50.55	2	1.68	0	0.00	2	1.68
		2017-18	38	34.20	4	1.75	2	1.36	2	0.39
		2018-19	208	87.41	2	1.19	0	0.00	2	1.19
		2019-20	27	12.77	14	5.54	0	0.00	14	5.54
		2020-21	35	45.22	26	44.07	17	19.04	9	25.03
		2021-22	30	46.22	30	46.22	23	32.81	7	13.41
		2022-23	27	79.03	27	79.03	3	0.48	24	78.55
16	अन्य सामाजिक सेवाएं (2250)	2018-19	1	0.19	1	0.18	0	0.00	1	0.18
		2019-20	1	0.13	1	0.13	0	0.00	1	0.13
17	फसल पालन (2401)	2020-21	19	307.02	6	117.61	6	117.61	0	0.00
		2021-22	7	151.71	7	151.71	7	151.71	0	0.00
		2022-23	15	167.17	15	167.17	0	0.00	15	167.17
18	मृदा एवं जल संरक्षण (2402)	2021-22	5	2.50	5	2.50	5	2.50	0	0.00
19	पशुपालन (2403)	2019-20	37	124.01	15	122.87	15	122.87	0	0.00
		2020-21	17	35.31	16	35.30	16	35.30	0	0.00
		2021-22	30	111.48	30	111.48	25	73.38	5	38.10
		2022-23	9	6.00	9	6.00	0	0.00	9	6.00
20	मत्स्य पालन (2405)	2022-23	4	1.54	4	1.54	4	1.54	0	0.00
21	वानिकी एवं वन्य जीवन (2406)	2017-18	3	10.71	3	10.71	0	0.00	3	10.71
		2019-20	3	3.09	3	3.09	0	0.00	3	3.09
		2020-21	3	8.68	3	8.68	3	8.68	0	0.00
		2021-22	1	7.20	1	7.20	1	7.20	0	0.00
		2022-23	2	4.50	2	4.50	0	0.00	2	4.50
22	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (2415)	2020-21	2	133.50	2	133.50	2	133.50	0	0.00
		2021-22	4	212.55	4	212.55	4	212.55	0	0.00
23	सहयोग (2425)	2020-21	5	36.21	1	0.40	1	0.40	0	0.00
		2021-22	6	212.40	6	212.40	6	212.40	0	0.00
24	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (2501)	2015-16	103	64.19	1	0.47	0	0.00	1	0.47
		2016-17	87	69.16	14	44.94	2	0.37	12	44.57
		2017-18	112	135.06	26	93.73	3	1.03	23	92.70
		2018-19	123	154.60	34	134.62	15	3.34	19	131.28
		2019-20	60	102.02	20	93.44	7	23.18	13	70.26
		2020-21	29	18.81	18	16.27	14	10.61	4	5.66
25	ग्रामीण रोजगार (2505)	2014-15	165	333.36	2	1.16	0	0.00	2	1.16
		2015-16	48	285.52	9	12.76	6	5.89	3	6.87
		2016-17	7	218.78	2	119.22	0	0.00	2	119.22
		2017-18	15	211.07	15	211.07	0	0.00	15	211.07
		2018-19	9	201.78	8	201.78	0	0.00	8	201.78
		2019-20	4	61.97	4	61.97	0	0.00	4	61.97
		2021-22	1	113.70	1	113.70	0	0.00	1	113.70
26	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2515)	2009-10	68	366.26	1	10.85	0	0.00	1	10.85
		2010-11	48	267.83	7	33.08	0	0.00	7	33.08
		2011-12	222	722.40	41	137.00	0	0.00	41	137.00
		2012-13	266	882.65	39	88.02	0	0.00	39	88.02
		2013-14	249	1263.49	69	368.67	0	0.00	69	368.67
		2014-15	3,871	1191.66	52	168.75	2	0.28	50	168.47
		2015-16	3,845	1261.94	93	146.89	1	0.01	92	146.88
		2016-17	4,166	2262.96	133	272.68	3	0.09	130	272.59
		2017-18	3,652	1127.58	58	153.74	3	6.62	55	147.12
		2018-19	4,015	2228.45	225	918.49	12	26.89	213	891.60
		2019-20	355	2757.15	330	2696.70	64	52.12	266	2644.58
		2020-21	105	349.62	104	349.62	68	9.05	36	340.57
		2021-22	124	302.64	124	302.64	33	6.90	91	295.74
		2022-23	82	7.49	82	7.49	5	1.28	77	6.21

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
27	प्रमुख सिंचाई (2700)	2020-21	3	1.75	2	0.85	0	0.00	2	0.85
28	कमांड क्षेत्र विकास (2705)	2019-20	16	104.25	1	0.75	1	0.75	0	0.00
29	ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत (2810)	2020-21	3	1.20	3	1.20	3	1.20	0	0.00
		2021-22	2	0.72	2	0.72	2	0.72	0	0.00
		2022-23	3	2.00	3	2.00	0	0.00	3	2.00
30	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (2851)	2021-22	3	5.95	3	5.95	0	0.00	3	5.95
31	उद्योग (2852)	2016-17	36	61.70	5	1.25	1	0.25	4	1.00
		2017-18	23	126.50	5	61.89	5	61.89	0	0.00
		2018-19	25	78.49	8	48.88	1	0.10	7	48.78
		2019-20	7	16.30	5	14.73	0	0.00	5	14.73
32	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (3425)	2020-21	8	12.12	4	4.62	4	4.62	0	0.00
33	पारिस्थितिकी और पर्यावरण (3435)	2014-15	12	2.17	1	0.10	0	0.00	1	0.10
		2018-19	3	1.37	1	0.05	0	0.00	1	0.05
34	सचिवालय आर्थिक सेवाएं (3451)	2020-21	4	1.45	1	0.05	1	0.05	0	0.00
		2021-22	8	73.56	8	73.56	0	0.00	8	73.56
		2022-23	6	4.85	6	4.85	0	0.00	6	4.85
35	खादय भंडारण और गोदाम (2408)	2022-23	13	0.19	13	0.19	0	0.00	13	0.19
36	एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण (2225)	2021-22	76	6.92	76	6.92	76	6.92	0	0.00
		2022-23	40	43.03	40	43.03	0	0.00	40	43.03
37	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (3475)	2019-20	1	0.10	1	0.10	0	0.00	1	0.10
कुल			31,406	58,592.91	3,263	24,295.94	1,226	7,276.44	2,037	17,019.50

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 121)

स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखों के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेख बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि ¹ (30 जून 2024 तक)
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2022-23	2021-22	1999-2000	2023-24	3 माह ¹
2.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर	-सम-	2022-23	2015-16	1996-97	2023-24	3 माह ¹
3.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., मेवात	-सम-	2022-23	2018-19	2009-10	2023-24	3 माह ¹
4.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
5.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., गुरुग्राम	-सम-	2022-23	2022-23	1999-2000	2023-24	3 माह ¹
6.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा	-सम-	2022-23	2021-22	2012-13	2023-24	3 माह ¹
7.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, हरियाणा	2018-19 से 2022-23	2017-18	2017-18	प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है	2018-19 से 2022-23	5 वर्ष ⁵
8.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2015-16	2015-16	2013-14	2016-17 से 2023-24	7 वर्ष ⁵
9.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल	-सम-	2022-23	2021-22	2009-10	2023-24	3 माह ¹
10.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., भिवानी	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
11.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी	-सम-	2022-23	2022-23	---	2023-24	3 माह ¹
12.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल	-सम-	2022-23	2021-22	1996-97	2023-24	3 माह ¹
13.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरुक्षेत्र	-सम-	2022-23	2021-22	1996-97	2023-24	3 माह ¹
14.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी	-सम-	2022-23	2021-22	1996-97	2023-24	3 माह ¹
15.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., जींद	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
16.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फतेहाबाद	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
17.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
18.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
19.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
20.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
21.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर	-सम-	2022-23	2020-21	2011-12	2023-24	3 माह ¹
22.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक	-सम-	2022-23	2022-23	1996-97	2023-24	3 माह ¹
23.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल	-सम-	2021-22 से 2022-23	2020-21	2012-13	2023-24	3 माह ¹
24.	मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला	-सम-	2022-23	2022-23	2013-14	2023-24	3 माह ¹
25.	हरियाणा मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2020-21	2020-21	2012-13	2021-22 2022-23 2023-24	27 माह ¹ 15 माह ¹ 3 माह ¹
26.	होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम), कुरुक्षेत्र	2016-17 से 2020-21	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
27.	होटल प्रबंधन संस्थान, यमुना नगर	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
28.	होटल प्रबंधन संस्थान, पानीपत	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
29.	होटल प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-
30.	होटल प्रबंधन संस्थान, रोहतक	-सम-	2016-17 से 2020-21	-	-	-	-

¹ स्वायत्त निकायों के लेखों पर हर वर्ष 30 जून को विचार किया जाता है।

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखों की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय हैं	लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब की अवधि ¹ (30 जून 2024 तक)
31.	हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं	2021-22 2022-23	-	-	2023-24	3 माह ²
32.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	हुडा अधिनियम, 1977 की धारा 26 (2) के अनुसार	2020-21	2019-20	सूचना प्रतीक्षित	2021-22 2022-23 2023-24	26 माह ² 14 माह ² 2 माह ²
33.	हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, पंचकुला	रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 77 (2) के अनुसार	2021-22	2021-22	सूचना प्रतीक्षित	2022-23 2023-24	14 माह ² 2 माह ²
34.	हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम	रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 77 (2) के अनुसार	2022-23	2020-21	एचआरआईआरए गुरुग्राम ने 2019-20 और 2020-21 के लिए ऑडिट रिपोर्ट एसीएस, टीसीपी को राज्य विधानमंडल में रखने के लिए प्रस्तुत की है	2023-24	2 माह ²
35.	हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला	2017-18 से 2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2021-22 2022-23 2023-24	26 माह ² 14 माह ² 2 माह ²
36.	हरियाणा आवास बोर्ड, पंचकुला	2019-20 से 2023-24	2020-21	2020-21	वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट एसीएस, सभी के लिए आवास विभाग को सौंपी गई	2021-22 2022-23 2023-24	26 माह ² 14 माह ² 2 माह ²
37.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, पंचकुला	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(2) के अनुसार	2022-23	2021-22	वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट ऊर्जा विभाग के सचिव को सौंपी गई।	2023-24	2 माह ²
38.	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम	जीएमडीए अधिनियम, 2017 की धारा 39 (2) के अनुसार	2022-23	2020-21	जीएमडीए ने 2017-18 से 2020-21 तक की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में रखने के लिए एसीएस, डीटीसीपी को सौंप दी है।	2023-24	2 माह ²
39.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई। (2023-24 से 2027-28)	2018-19	2018-19	2017-18	2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24	चार वर्ष 4 माह ² तीन वर्ष 4 माह ² दो वर्ष 4 माह ² एक वर्ष 4 माह ² 4 माह ²
40.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, हरियाणा ¹	नि.म.ले.प. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई।	2019-20 2020-21 2021-22	2019-20	2007-08	2022-23 2023-24	एक वर्ष 4 माह ² 4 माह ²
41.	हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	-सम-	लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए	-	-	2013-14 से 2023-24	10 वर्ष 4 माह ²
42.	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), हरियाणा	-सम-	2018-19 से 2020-21	2018-19 से 2020-21	अभी प्रस्तुत की जानी है (2018-19 से)	2021-22 2022-23 2023-24	दो वर्ष 4 माह ² एक वर्ष 4 माह ² 4 माह ²
43.	हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड	-सम-	2018-19 से 2020-21 2021-22	2020-21	अभी प्रस्तुत की जानी है (2018-19 से)	2022-23 2023-24	एक वर्ष 4 माह ² 4 माह ²

नोट: \$:- 30 जून 2024 तक की स्थिति
 #- 31 अगस्त 2024 तक की स्थिति
 *:- 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति
 @:- 31 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति